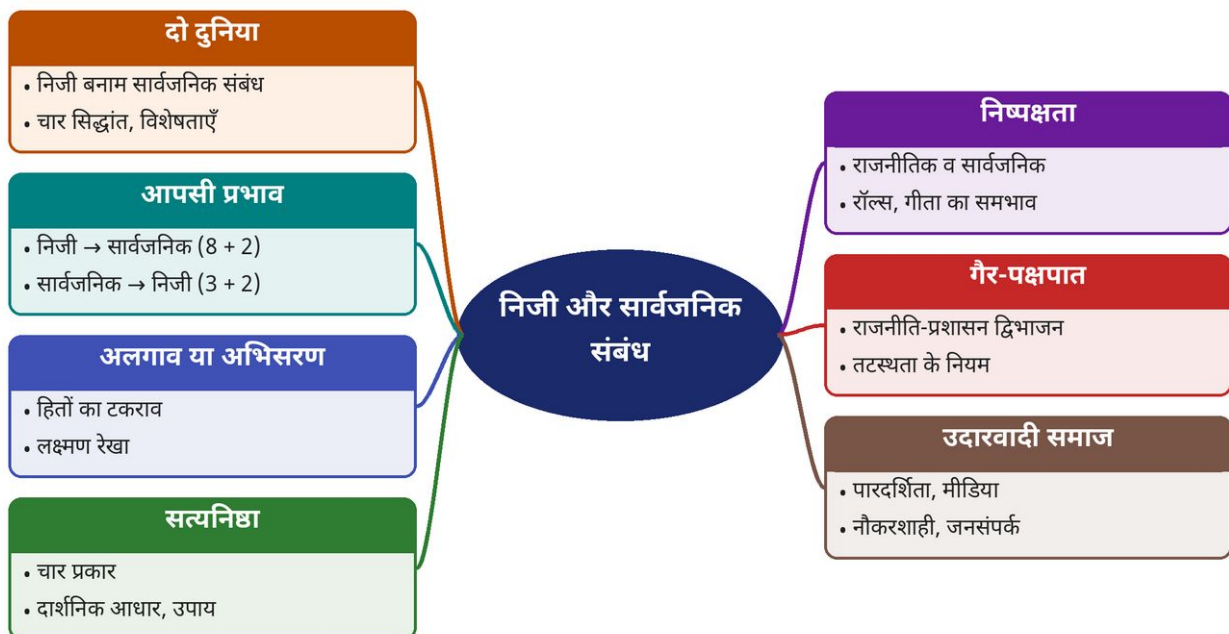


📖 शुरुआत एक सच्ची घटना से...

बूंदी (राजस्थान) में जब सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान अस्पतालों में मरीज़ बिना इलाज के तड़प रहे थे, तब वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर डॉ. रवींद्र गोस्वामी — जो खुद MBBS डिग्रीधारी थे — अपनी कलेक्टर की कुर्सी छोड़कर सीधे अस्पताल पहुँचे और घंटों तक खुद मरीज़ों की जाँच व इलाज में जुट गए। उनका यह कदम किसी सरकारी आदेश या नियम-पुस्तिका में नहीं लिखा था — यह पूरी तरह उनकी निजी योग्यता (एक डॉक्टर होने) से निकला एक व्यक्तिगत निर्णय था, जिसने सार्वजनिक जीवन (प्रशासन) में असाधारण सकारात्मक असर डाला। यही कहानी इस अध्याय के मूल सवाल की जड़ है — क्या निजी और सार्वजनिक जीवन को पूरी तरह अलग-अलग खानों में बाँटा जा सकता है, या दोनों हमेशा एक-दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं? इस अध्याय में हम यही समझेंगे — कब निजी जीवन सार्वजनिक कर्तव्य को नुकसान पहुँचाता है, कब फायदा, और सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता व गैर-पक्षपात जैसे मूल्य इन दोनों दुनिया को कैसे संतुलित रखने में मदद करते हैं।

अध्याय 03 — एक नज़र में



चित्र 3.1: अध्याय 03 — एक नज़र में

New India Education by Omkar Sir

कहानी: अध्याय की यात्रा — "कलेक्टर नंदिनी की दो डायरियाँ"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। इसके हर पन्ने में इस अध्याय का एक भाग छिपा है — इसे ध्यान से पढ़िए, पूरा अध्याय आपकी आँखों के सामने खुल जाएगा।)

अजमेर ज़िले की कलेक्टर नंदिनी के पास हमेशा दो डायरियाँ रहती थीं — एक भूरे रंग की, जिसमें दफ़्तर के काम लिखे होते; और एक हरे रंग की, जिसमें बेटी के स्कूल, माँ की दवाइयाँ और घर की बातें। उनके पिता, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कहा करते थे — "बेटा, दोनों डायरियाँ अलग रखना, पर दोनों में लिखावट एक ही ईमानदारी की होनी चाहिए।" उस हफ़्ते नंदिनी को इस बात का असली अर्थ समझ आया।

सोमवार — दो दुनिया: सुबह माँ ने बिना कुछ कहे उनका पसंदीदा नाश्ता बना दिया — यह प्रेम का रिश्ता था, जिसमें कोई नियम नहीं। दफ़्तर पहुँची तो एक आवेदक ने अपनी फ़ाइल दिखाई — यहाँ रिश्ता नियम, समय-सीमा और जवाबदेही का था। नंदिनी ने सोचा — घर में भावना चलती है, दफ़्तर में नियम; पर ईमानदारी, करुणा और सच दोनों जगह एक जैसे हैं। (खंड 1)

मंगलवार — भाई का फ़ोन: छोटे भाई का फ़ोन आया — "दीदी, मेरी फ़र्म ने ज़िले के एक टेंडर में बोली लगाई है, बस थोड़ा ध्यान रखना।" नंदिनी ने प्यार से, पर साफ़ मना किया और उसी दिन लिखित रूप में खुद को उस टेंडर-समिति से अलग कर लिया। उन्हें याद आया कि कैसे निजी रिश्ते (भाई-भतीजावाद), अंध-प्रेम और पूर्वाग्रह सार्वजनिक जीवन को खोखला कर देते हैं। (खंड 2)

बुधवार — माँ की सीख: एक बुजुर्ग विधवा जनसुनवाई में रो पड़ी। नंदिनी को अपनी माँ की बात याद आई — "किसी के आँसू पोंछने से बड़ी कोई पूजा नहीं।" उन्होंने उसी दिन उसकी पेंशन की बाधा दूर करवाई। निजी जीवन से मिली करुणा सार्वजनिक सेवा को बेहतर बना रही थी। (खंड 3)

गुरुवार — छूटा हुआ नाटक: बाढ़ की चेतावनी के कारण नंदिनी रात भर नियंत्रण-कक्ष में रहीं और बेटी के स्कूल का वार्षिक नाटक छूट गया। बेटी नाराज़ थी। नंदिनी ने अगली सुबह उसे गोद में बिठाकर समझाया कि उस रात सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित निकालना क्यों ज़रूरी था — और वादा किया कि अगली बार की योजना पहले से बनाएँगी। सार्वजनिक जीवन निजी जीवन पर भी असर डालता है — कभी तकलीफ़ देकर, कभी अच्छे मूल्य सिखाकर। (खंड 4)

शुक्रवार — लक्ष्मण रेखा: रात को उन्होंने दोनों डायरियाँ साथ रखकर सोचा — जीवन के इन दो हिस्सों को पूरी तरह अलग करना न संभव है, न सही; बस एक "लक्ष्मण रेखा" चाहिए — निजी करुणा सार्वजनिक सेवा में आए, पर निजी पक्षपात कभी नहीं। (खंड 5)

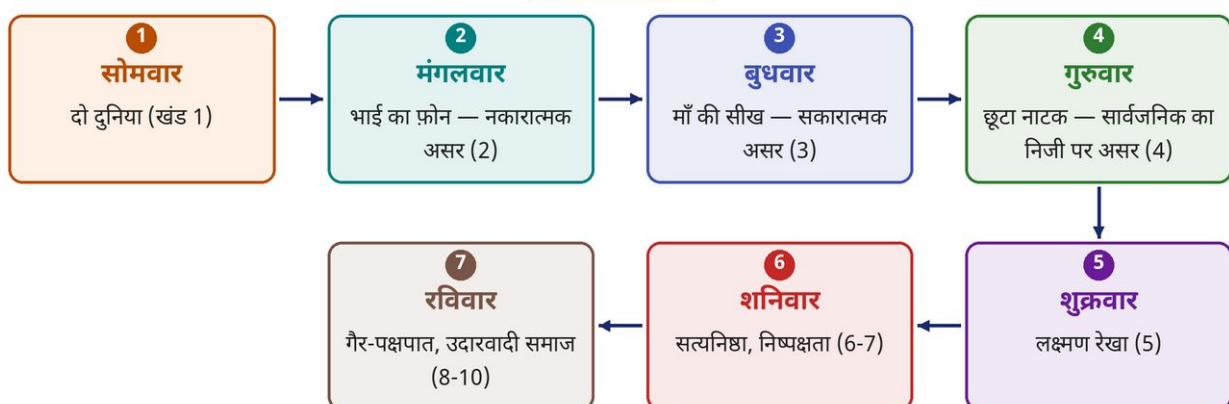
शनिवार — दो दीपक: सरकारी गाड़ी में बेटी को स्कूल छोड़ने का प्रस्ताव ड्राइवर ने रखा, पर नंदिनी ने अपनी निजी कार निकाली। उन्हें चाणक्य के दो दीपकों की कहानी याद आई — यही सत्यनिष्ठा है। उसी दिन एक भर्ती-परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं की गोपनीय कोडिंग करवाई, ताकि कोई परीक्षक उम्मीदवार की पहचान न जान सके — यह निष्पक्षता थी। (खंड 6 और 7)

रविवार — चुनाव की तैयारी और अख़बार: आगामी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की बैठक में एक दल के नेता ने "विशेष ध्यान" की माँग की। नंदिनी ने सभी दलों के सामने एक-सी आचार-संहिता पढ़कर सुनाई — यह गैर-पक्षपात था। शाम को अख़बार में ज़िला अस्पताल की कमियों पर एक तीखी ख़बर छपी। नाराज़ होने के बजाय उन्होंने अगले दिन जाँच करवाई और सूचना के अधिकार के तहत आई अर्जियों का जवाब समय पर देने का आदेश दिया — क्योंकि एक उदारवादी समाज में पारदर्शिता, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह नौकरशाही ही लोकतंत्र की सांस हैं। (खंड 8, 9 और 10)

हफ़्ते के अंत में नंदिनी ने अपनी भूरी डायरी के पहले पन्ने पर पिता की वह पंक्ति फिर से लिखी — "दो डायरियाँ, एक ईमानदारी।" यही यात्रा अब आप इस अध्याय में करने जा रहे हैं।

इस कहानी से सीख: यह अध्याय एक हफ़्ते के सात दिनों की तरह चलता है — (1) निजी और सार्वजनिक संबंधों का अंतर, (2-3) निजी जीवन का सार्वजनिक जीवन पर बुरा और अच्छा असर, (4) सार्वजनिक जीवन का निजी जीवन पर असर, (5) अलगाव और अभिसरण, (6-8) सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर-पक्षपात, (9-10) उदारवादी समाज और ऐतिहासिक यात्रा।

नंदिनी का एक हफ़्ता — अध्याय के सात भाग



चित्र 3.2: नंदिनी का एक हफ़्ता — अध्याय के सात भाग

अध्याय विषय-सूची

1	निजी और सार्वजनिक संबंध — तुलनात्मक विश्लेषण	6	सत्यनिष्ठा (Integrity) का दार्शनिक आधार
2	निजी जीवन का सार्वजनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव (8)	7	निष्पक्षता (Impartiality) — परिभाषा, महत्व और उपाय

कृत्य — इनसे बचें)	
3 निजी जीवन का सार्वजनिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव (2 कृत्य — इन्हें अपनाएँ)	8 गैर-पक्षपात (Non-Partisanship) — परिभाषा, महत्व और उपाय
4 सार्वजनिक जीवन का निजी जीवन पर प्रभाव	9 उदारवादी समाज (Liberal Society) — पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही की भूमिका
5 निजी और सार्वजनिक जीवन को अलग क्यों रखें? + अभिसरण (Convergence) कब उचित?	10 सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और उदारवादी समाज — ऐतिहासिक यात्रा

1. निजी और सार्वजनिक संबंध — तुलनात्मक विश्लेषण

सरल भाषा में समझें — निजी संबंध वे हैं जो दिल से चलते हैं, जैसे माँ-बेटे का रिश्ता, जहाँ कोई लिखित नियम नहीं होता। वहीं सार्वजनिक संबंध वे हैं जो नियमों और कानूनों से चलते हैं, जैसे एक अधिकारी और आम नागरिक का रिश्ता। दोनों बिल्कुल अलग आधारों पर टिके होते हैं, इसलिए एक प्रशासक को यह फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है।

आसान परिभाषा: लोक सेवक / Public Servant

परिभाषा: भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita — BNS), 2023 की धारा 2(28) 'लोक सेवक' की परिभाषा देती है (यह पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 की जगह आई है)। इसमें सेना के कमीशन-प्राप्त अधिकारी, न्यायाधीश, न्यायालय के अधिकारी, सरकार की सेवा में रहने वाले या सरकार से वेतन पाने वाले कर्मचारी (जैसे सिविल सेवक), स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों व सरकारी कंपनियों के कर्मचारी तथा चुनाव से जुड़े कर्तव्य निभाने वाले व्यक्ति जैसी श्रेणियाँ गिनाई गई हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(c) इससे भी व्यापक है — उसके अनुसार जो भी व्यक्ति किसी ऐसे पद पर है जिसके कारण उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य निभाना पड़ता है, वह लोक सेवक है। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने पी.वी. नरसिम्हा राव मामले (1998) में सांसदों-विधायकों को भी इस अधिनियम के तहत लोक सेवक माना।

आसान भाषा में: इसे ऐसे समझें — जैसे ही कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर आता है जहाँ उसका फैसला सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी को नहीं, बल्कि आम जनता को भी प्रभावित करता है, कानून उस पर एक अतिरिक्त, सख्त ज़िम्मेदारी (जवाबदेही) डाल देता है — भले ही वह पद चुनाव से मिला हो, नियुक्ति से, या पेशे की प्रकृति से। **उदाहरण:** एक निजी क्लिनिक में मरीज़ देखने वाला डॉक्टर और एक सरकारी अस्पताल में मरीज़ देखने वाला डॉक्टर — दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, पर दूसरे पर जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता की कसौटी कहीं ज़्यादा सख्ती से लागू होती है, क्योंकि वह जनता के संसाधनों और भरोसे से जुड़ा है।

1.1 संबंधों के चार आधार और निजी संबंधों का दायरा

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। गांधीजी कहते थे कि अहिंसक और सत्यनिष्ठ समाज के लिए अच्छे संबंध बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी संबंध — निजी हो या सार्वजनिक — चार आधारों पर टिकता है: **सम्मान (Respect)**, **समझ (Understanding)**, **स्वीकृति (Acceptance)** और **सराहना (Appreciation)**।

◆ **स्वयं के साथ संबंध:** अपने बारे में अच्छा या बुरा सोचना, और अपनी कथनी-करनी में कितनी एकरूपता है — यही व्यक्ति की नैतिकता की पहली परत है।

◆ **दांपत्य जीवन:** पति-पत्नी का रिश्ता तभी अच्छा चलता है जब दोनों एक-दूसरे की अलग पहचान और स्वभाव को समझें और अपनी इच्छाएँ दूसरे पर न थोपें। हर व्यक्ति को अपने फ़ैसले लेने की कुछ स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए जीवनसाथी पर ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार जताना या बात-बात पर शक करना रिश्ते को कमज़ोर कर देता है। जीवनसाथी के सपनों और आकांक्षाओं (जैसे पढ़ाई या नौकरी) को स्वीकार करना, आपस में होड़ करने के बजाय सहयोग करना, और घर व जीवन की ज़िम्मेदारियों का बोझ मिल-जुलकर बाँटना — यही इस रिश्ते में सम्मान, समझ, स्वीकृति और सराहना के चार आधारों का व्यावहारिक रूप है।

◆ **मित्रता:** सच्ची मित्रता भरोसे पर टिकती है — मित्र वह है जो कठिन समय में साथ न छोड़े, दुख में भावनात्मक सहारा दे, और हमारे मूल्यों व विचारों का सम्मान करे, भले ही वे उसके अपने विचारों से अलग हों। यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने सच्ची मित्रता (फ़िलिया — Philia) को सद्गुणी निजी जीवन का मूल हिस्सा माना, जो एक-दूसरे के सद्गुणों की सराहना पर टिकी होती है।

हर अच्छे संबंध के चार आधार

अच्छा संबंध

सम्मान दूसरे की गरिमा का आदर	समझ उसकी स्थिति को जानना	स्वीकृति जैसा है वैसा अपनाना	सराहना अच्छाई की प्रशंसा
--	------------------------------------	--	------------------------------------

चित्र 3.3: हर अच्छे संबंध के चार आधार

1.2 निजी बनाम सार्वजनिक संबंध — आठ आधारों पर तुलना

आधार	निजी संबंध (Private)	सार्वजनिक संबंध (Public)
प्रकार	अनौपचारिक, स्वयं-आरोपित — जैसे पति-पत्नी का कर्तव्य किसी बाहरी कानून से नहीं, बल्कि आपसी भावना से बंधा होता है।	औपचारिक, बाहरी रूप से निर्धारित — जैसे सिविल सेवाओं के नियम कार्मिक मंत्रालय (DoPT) द्वारा तय किए जाते हैं।
मार्गदर्शक तत्व	भावनाएँ और जज़्बात (Passion) — जैसे एक माँ का प्यार, जिसका कोई तार्किक हिसाब-किताब नहीं होता।	नियम और कानून (Reason) — जैसे पुलिस, भारतीय न्याय संहिता (BNS) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) से निर्देशित होकर काम करती है।
प्रमुख मूल्य	व्यक्तिपरकता, गोपनीयता, आत्मीयता, प्रेम, निष्ठा, विश्वास, करुणा, देखभाल की नैतिकता (Care Ethics)।	वस्तुनिष्ठता (Objectivity), पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता, राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक मूल्य, न्याय।
साझा मूल्य	ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा, परोपकार और समर्पण — ये मूल्य निजी संबंधों में भी उतने ही ज़रूरी हैं।	यही मूल्य सार्वजनिक जीवन में भी अनिवार्य हैं — जैसे एक छात्र-शिक्षक के आपसी सम्मान वाले रिश्ते में भी समर्पण और सत्यनिष्ठा दोनों तरफ ज़रूरी होते हैं।
स्थायित्व	अपेक्षाकृत अधिक स्थायी — जैसे यह मान्यता है कि माता-पिता का रिश्ता कभी 'रिटायर' नहीं होता।	अपेक्षाकृत अस्थायी — छुट्टी, सेवानिवृत्ति (Retirement), स्थानांतरण (Transfer) जैसी व्यवस्थाओं से यह संबंध समय-समय पर बदलता रहता है।
गलती पर रवैया	अपेक्षाकृत अधिक सहनशीलता — परिवार प्रायः जेल से लौटे व्यक्ति को भी स्वीकार कर लेता है।	गलती के प्रति बेहद कम सहनशीलता — कारण बताओ नोटिस, निलंबन, जुर्माना या जेल जैसी सख्त कार्यवाही संभव है।
स्वभाव	प्रायः बिना शर्त — जैसे एक माँ की चौबीसों घंटे की देखभाल के पीछे किसी बदले की उम्मीद नहीं होती। (एक अनुमान के अनुसार भारत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला बड़ा हिस्सा घरेलू व देखभाल-कार्य आर्थिक रूप से 'अवैतनिक' रहता है — भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शोध-रिपोर्ट, 2023 के अनुसार इसका अनुमानित मूल्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 7.5% के बराबर आँका गया है।)	प्रायः सशर्त, कुछ हद तक लेन-देन (Quid pro quo) जैसा — सिविल सेवकों को उनके कार्य के बदले वेतन व अन्य सुविधाएँ मिलती हैं।
नियामक ढाँचा	व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक मान्यताएँ, धार्मिक परंपराएँ, तथा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 जैसे कानून।	संविधान (अनुच्छेद 14-16), अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968, BNS/BNSS, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आदि।

निजी बनाम सार्वजनिक संबंध — मुख्य अंतर

निजी संबंध	बनाम	सार्वजनिक संबंध
भावना, प्रेम, निष्ठा	आधार	नियम, कानून, तर्क
अनौपचारिक, एक-से-एक	स्वरूप	औपचारिक, पूर्वानुमेय
भीतर से (अंतरात्मा)	नियंत्रण	बाहर से (कानून, संहिता)
क्षमा, अधिक सहनशीलता	गलती पर रवैया	कम सहनशीलता, जवाबदेही
अपेक्षाकृत स्थायी	स्थायित्व	पद तक सीमित, अस्थायी
प्रेम, गोपनीयता, देखभाल	मूल्य	पारदर्शिता, निष्पक्षता, समानता

चित्र 3.4: निजी बनाम सार्वजनिक संबंध — मुख्य अंतर

1.3 निजी और सार्वजनिक संबंधों की विशेषताएँ

निजी संबंधों की विशेषताएँ: ये अनौपचारिक होते हैं — इन्हें चलाने की कोई लिखित प्रक्रिया नहीं होती। ये एक-से-एक (One-to-one) संबंध होते हैं, जो भावनात्मक बंधन पर टिके होते हैं। इनमें नैतिक व्यवहार पर नियंत्रण भीतर से (अंतरात्मा से) होता है, कानून से नहीं। इनमें कर्तव्य स्वयं ओढ़े हुए और स्वैच्छिक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात — निजी संबंधों की नैतिकता ही सार्वजनिक संबंधों में नैतिक व्यवहार की नींव बनती है।

सार्वजनिक संबंधों की विशेषताएँ: ये औपचारिक और पूर्वानुमेय (Predictable) होते हैं। इनमें व्यक्ति स्वयं को एक बड़ी व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखता है, अलग इकाई के रूप में नहीं। इनमें कानूनी और सामाजिक दायित्व होते हैं — कर्तव्य बाहर से तय, औपचारिक और बाध्यकारी होते हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा होता है — एक अधिकारी का एक निर्णय हज़ारों लोगों को प्रभावित करता है।

दोनों में साझा मूल्य: ईमानदारी, अच्छे पारस्परिक संबंध बनाने का कौशल और करुणा — ये तीनों दोनों दुनिया में समान रूप से ज़रूरी हैं।

“ आदर्श अधिकारी अपना काम "बिना घृणा या जुनून के, और इसलिए बिना लगाव या उत्साह के" करता है। (without hatred or passion, and hence without affection or enthusiasm) ” — मैक्स वेबर (Max Weber)

ऊपर की तालिका के सभी आधारों में से चार सबसे मज़बूत आधार हैं — **मार्गदर्शक तत्व, स्थायित्व, गलती पर रवैया और नियामक ढाँचा**। इन चार आधारों के तर्क को समझ लेने से निजी और सार्वजनिक संबंधों की नैतिकता का अंतर उदाहरण सहित आसानी से स्पष्ट हो जाता है।

2. निजी जीवन का सार्वजनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव (8 कृत्य — इनसे बचें)

जब कोई व्यक्ति अपने निजी संबंधों, भावनाओं या पूर्वाग्रहों को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों में घुसने देता है, तो इसका सीधा नुकसान प्रशासन और आम जनता को होता है। नीचे आठ ऐसे कृत्य दिए गए हैं जिनसे एक अच्छे प्रशासक को सतर्क रहना चाहिए।

आसान परिभाषा: भाई-भतीजावाद (Nepotism)

 **परिभाषा:** अपने रिश्तेदारों, परिचितों या करीबी लोगों को बिना योग्यता जाँचें सार्वजनिक पदों, ठेकों या लाभों में तरजीह देना।

 **आसान भाषा में:** जैसे किसी कंपनी का मालिक अपने बेटे को, जो काम में कमज़ोर है, सिर्फ रिश्ते के आधार पर मैनेजर बना दे — जबकि कोई और ज़्यादा योग्य कर्मचारी उस पद के लिए बेहतर होता।  **उदाहरण:** जब कोई सरकारी अधिकारी किसी ठेके में अपने रिश्तेदार की कंपनी को बिना उचित प्रक्रिया के काम दिलवा देता है, तो यह न सिर्फ अनैतिक है बल्कि भ्रष्टाचार-निरोधक कानूनों का उल्लंघन भी बन सकता है।

क्र.	निजी कृत्य	सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव	उदाहरण
1	कार्यस्थल पर रिश्तेदारों को तरजीह देना	भाई-भतीजावाद, पक्षपात, अकुशलता, बड़े घोटालों की जड़।	कोयला खान आवंटन घोटाला (नियंत्रक-महालेखा परीक्षक — CAG — की वर्ष 2012 की अंतिम रिपोर्ट में लगभग ₹1.86 लाख करोड़ की संभावित हानि का अनुमान लगाया गया था, हालाँकि तत्कालीन सरकार ने इस आंकड़े व उसकी गणना-पद्धति को संसद में चुनौती दी थी); पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में नीरव मोदी से जुड़ा बैंक धोखाधड़ी मामला (शुरुआती अनुमान लगभग ₹11,400 करोड़, बाद की जाँच में कुल राशि लगभग ₹13,000-14,000 करोड़ आँकी गई); बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद पर चर्चा।
2	अंध/तर्कहीन प्रेम	सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत या पक्षपातपूर्ण निर्णय लेना।	महाभारत में धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंध-प्रेम — जिसने राजा के रूप में उनके निष्पक्ष न्याय करने की क्षमता को ही समाप्त कर दिया और अंततः महाभारत युद्ध की एक बड़ी वजह बना।
3	पारिवारिक मूल्यों का अनादर (Infidelity)	सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति की विश्वसनीयता और नैतिक छवि की गंभीर हानि।	अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का लेविंस्की प्रकरण (जिसके चलते महाभियोग — Impeachment — की कार्यवाही तक चली); प्रेरक वक्ता विवेक बिंद्रा पर लगे घरेलू दुर्व्यवहार के आरोप (जो विवादित रहे और सार्वजनिक चर्चा का विषय बने)।
4	परिवार में पितृसत्तात्मक मूल्यों का प्रभाव (Spillover Effect)	कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव।	#MeToo आंदोलन के दौरान सामने आए आरोप, 'कास्टिंग काउच' जैसी प्रचलित शिकायतें, तथा हनी-ट्रैप से जुड़े मामले — ये सभी दिखाते हैं कि निजी जीवन के पूर्वाग्रह कैसे कार्यस्थल की संस्कृति को प्रभावित कर सकते हैं।
5	ऐसा निजी आचरण जो स्वयं के सार्वजनिक छवि के विपरीत हो (Image Contradiction)	सार्वजनिक विश्वसनीयता की गंभीर हानि — पाखंड (Hypocrisy) का आरोप।	उन्नीसवीं सदी के समाज-सुधारक केशव चंद्र सेन ने सार्वजनिक रूप से बाल-विवाह का पुरज़ोर विरोध किया, पर बाद में स्वयं अपनी नाबालिग बेटी का विवाह कूचबिहार के युवराज से करवा दिया — इस विरोधाभास से क्षुब्ध होकर उनके कई अनुयायियों ने अलग होकर वर्ष 1878 में 'साधारण ब्राह्म समाज' की स्थापना की।
6	विलासितावाद (Hedonism) — अत्यधिक विलासिता व अपव्यय की प्रवृत्ति	आर्थिक तंगी से भ्रष्टाचार की ओर झुकाव; कुछ संवैधानिक पदों के लिए यह अयोग्यता का आधार भी बन सकता है।	संबंधित कानूनों के अनुसार, यदि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) जैसे पदों पर बैठा कोई व्यक्ति 'दिवालिया (Insolvent)' घोषित हो जाए, तो यह उसे पद से हटाने का एक आधार बन सकता है।
7	पारिवारिक संबंधों में गहरा टकराव	सार्वजनिक छवि पर सवाल और पारिवारिक जीवन को लेकर सतत	महात्मा गांधी — जिन्हें 'राष्ट्रपिता' कहा जाता है — का अपने पुत्र हरिलाल गांधी के साथ आजीवन तनावपूर्ण और कटु संबंध

क्र.	निजी कृत्य	सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव	उदाहरण
		जनचर्चा।	बना रहा।
8	ऐसी धार्मिक/जातिगत मान्यताएँ जो सार्वजनिक कर्तव्य से टकराएँ	कानून का मन से पालन न होना, निर्णयों में पूर्वाग्रह व भेदभाव।	जातिगत पूर्वाग्रह रखने वाला अधिकारी वंचित वर्गों के साथ निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएगा — उदाहरण के लिए, धार्मिक पहचान के आधार पर किसी उत्पाद-शुल्क निरीक्षक (Excise Inspector) की नियुक्ति/स्थानांतरण पर सवाल उठाया जाना, यह दिखाता है कि पूर्वाग्रह किस तरह प्रशासनिक निर्णयों में घुस सकता है।

निजी जीवन के आठ नकारात्मक असर — तीन समूहों में



चित्र 3.5: निजी जीवन के आठ नकारात्मक असर — तीन समूहों में

☀ कहानी — जब सुधारक खुद अपने ही सिद्धांत पर खरा नहीं उतरा

केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे और बाल-विवाह के खिलाफ मुखर आवाज़ माने जाते थे — उन्हीं के प्रयासों से 'नेटिव मैरिज एक्ट, 1872' जैसा कानून बनाने में मदद मिली थी, जिसमें विवाह की न्यूनतम उम्र तय की गई। पर 1878 में, उन्होंने खुद अपनी 13-14 वर्षीय नाबालिग बेटी सुनीति देवी का विवाह कूचबिहार के नाबालिग युवराज (महाराजा) से करवा दिया — ठीक उन्हीं मान्यताओं के विपरीत जिनका वे सार्वजनिक रूप से प्रचार करते थे। इस पाखंड से आहत होकर आनंद मोहन बोस और उमेशचंद्र दत्त जैसे उनके कई करीबी अनुयायी अलग हो गए और 'साधारण ब्राह्म समाज' नामक नया संगठन बनाया। यह घटना आज भी यह सिखाती है कि किसी सार्वजनिक व्यक्ति की विश्वसनीयता तभी तक टिकती है, जब तक उसका निजी आचरण उसके सार्वजनिक रुख से मेल खाता हो।

📖 कहानी: "मन का पूर्वाग्रह" — एक ज़िला शिक्षा अधिकारी की आत्म-परीक्षा

भीलवाड़ा ज़िले में महेश (काल्पनिक नाम) नए ज़िला शिक्षा अधिकारी बने थे। वे ईमानदार थे — रिश्तों को उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया था। पर बचपन से उन्होंने अपने गाँव में कुछ समुदायों के बारे में तरह-तरह की बातें सुनी थीं — "वे लोग पढ़ाई को महत्व नहीं देते", "उनके इलाक़े में अच्छे शिक्षक भेजना बेकार है।" ये बातें उनके मन में कहीं गहरे बैठ गई थीं।

शिक्षकों की नई तैनाती की सूची बनाते समय उन्होंने अनजाने में सबसे अनुभवी शिक्षकों को शहर और बड़े गाँवों के विद्यालयों में रखा, और एक घुमंतू समुदाय की बस्ती वाले विद्यालय में केवल एक नया, अनुभवहीन शिक्षक। उनके एक सहायक ने धीरे से पूछा — "सर, उस विद्यालय में तो नामांकन सबसे ज़्यादा बढ़ा है, और सबसे कम परिणाम भी वहीं है। वहाँ सबसे अच्छे शिक्षक की ज़रूरत नहीं?"

महेश रुक गए। उस रात उन्होंने अपने मन से कठिन सवाल पूछा — "क्या यह निर्णय तथ्यों पर था, या बचपन से सुनी बातों पर?" उन्हें एहसास हुआ कि भ्रष्टाचार केवल पैसे का नहीं होता, **मन का पूर्वाग्रह भी निर्णय को भ्रष्ट कर देता है**। निजी जीवन से आया पूर्वाग्रह चुपचाप सार्वजनिक निर्णय में घुस गया था।

अगले दिन उन्होंने तैनाती के लिए स्पष्ट मापदंड बनवाए — विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात, पिछले परिणाम और विषय-विशेषज्ञता — और काउंसलिंग खुली बैठक में करवाई। उस बस्ती के विद्यालय में दो अनुभवी शिक्षक भेजे गए, और महेश स्वयं हर महीने वहाँ जाने लगे। दो वर्ष बाद उस विद्यालय की एक छात्रा ने ज़िले में दसवीं कक्षा में सबसे अधिक अंक पाए। महेश ने उस दिन कहा — "मैंने उस बस्ती को नहीं बदला, उस बस्ती ने मेरी सोच बदल दी।"

🔑 इस कहानी से सीख: ईमानदारी के साथ-साथ निष्पक्षता के लिए आत्म-जागरूकता भी ज़रूरी है। निजी जीवन से आए पूर्वाग्रह (Bias) और पूर्व-निर्णय (Prejudice) अक्सर चुपचाप सार्वजनिक निर्णयों में घुस जाते हैं। इसका इलाज है — स्पष्ट, तथ्य-आधारित मापदंड, पारदर्शी प्रक्रिया और अपने निर्णयों की ईमानदार आत्म-समीक्षा।

इन आठ कृत्यों को तीन बड़े समूहों में बाँटकर समझना आसान है — (1) **पक्षपात-आधारित** (भाई-भतीजावाद, अंध-प्रेम, धार्मिक पूर्वाग्रह), (2) **व्यक्तिगत चरित्र-आधारित** (बेवफ़ाई, विलासितावाद (Hedonism), छवि-विरोधाभास (Image Contradiction)), (3) **पारिवारिक-सामाजिक** (पितृसत्तात्मक सोच का फैलाव, पारिवारिक टकराव)। हर समूह का एक-एक उदाहरण याद रहे तो पूरा विषय संतुलित रूप से याद रहता है। नीचे का चित्र इसी वर्गीकरण को दिखाता है।

3. निजी जीवन का सार्वजनिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव (2 कृत्य — इन्हें अपनाएँ)

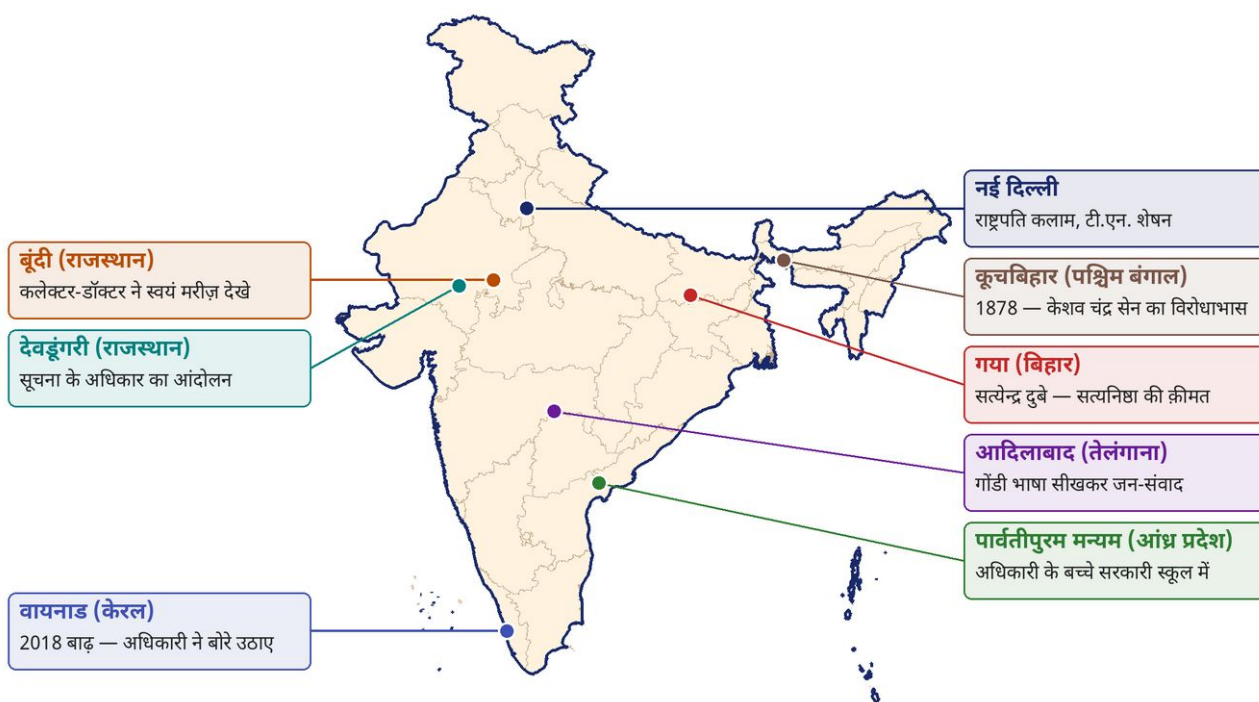
निजी जीवन हमेशा नुकसान ही नहीं पहुँचाता — कई बार निजी गुण, भावनाएँ और आदतें ही एक अधिकारी को बेहतर, अधिक संवेदनशील लोकसेवक बनाती हैं। नीचे दो ऐसे उदाहरण हैं।

क्र.	निजी कृत्य	सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव	उदाहरण
1	निजी जीवन में स्नेह, देखभाल और सहानुभूति की भावना	सार्वजनिक सेवा-वितरण में अधिक संवेदनशीलता और बेहतर सेवा।	2018 की केरल बाढ़ के दौरान IAS अधिकारी एम.जी. राजामणिकम् (आपदा-प्रबंधन के विशेष अधिकारी) वायनाड के एक राहत-शिविर में देर रात स्वयं राहत-सामग्री के चावल के बोरे कंधे पर उठाकर उतारते देखे गए — यह उनकी ड्यूटी की औपचारिक परिभाषा से कहीं आगे जाकर किया गया एक व्यक्तिगत, संवेदनशील निर्णय था; बूंदी (राजस्थान) के कलेक्टर डॉ. रवींद्र गोस्वामी — जो पेशे से MBBS डॉक्टर भी हैं — ने सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान खुद अस्पताल जाकर मरीजों का इलाज किया।
2	शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन से मिलने वाला अच्छा मनोभाव (Mood)	कार्यस्थल पर बेहतर दक्षता, धैर्य और उत्पादकता।	पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का अपनी पत्नी मिशेल ओबामा और बेटियों के साथ मज़बूत पारिवारिक संबंध — जिसे अक्सर उनके कार्यालयीन नेतृत्व-शैली में स्थिरता व संतुलन का एक सहयोगी कारक माना जाता है।

☀ निजी प्रयास से सार्वजनिक भरोसा — एक कलेक्टर जिसने आदिवासियों की भाषा सीखी

तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले की कलेक्टर रहीं **दिव्या देवराजन** ने देखा कि गोंड आदिवासी अपनी समस्याएँ लेकर दफ़्तर आने से कतराते हैं, क्योंकि वे तेलुगु या हिंदी में अपनी बात ठीक से नहीं कह पाते, और अधिकारी उनकी गोंडी भाषा नहीं समझते। उन्होंने अपने निजी समय में **गोंडी भाषा** सीखी और लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करनी शुरू की। धीरे-धीरे अविश्वास भरोसे में बदल गया — लोग खुलकर अपनी समस्याएँ बताने लगे और योजनाएँ ज़मीन तक पहुँचने लगीं। यह निजी जीवन के एक गुण (सीखने की लगन और समानुभूति) का सार्वजनिक सेवा पर सकारात्मक असर — यानी **सकारात्मक अभिसरण** — का सुंदर उदाहरण है।

इस अध्याय की सच्ची कहानियों का भारत-मानचित्र



मानचित्र केवल प्रतीकात्मक है — स्थान लगभग दर्शाए गए हैं

चित्र 3.6: इस अध्याय की सच्ची कहानियों का भारत-मानचित्र

बूंदी और वायनाड वाले दोनों उदाहरण एक ही बात सिद्ध करते हैं — जब किसी अधिकारी का निजी गुण (चिकित्सा-कौशल, संवेदनशीलता) सार्वजनिक भलाई के लिए इस्तेमाल होता है, तो निजी-सार्वजनिक विभाजन की सीमा-रेखा धुंधली पड़ जाती है, और यही 'सकारात्मक अभिसरण (Positive Convergence)' है — जिसका विस्तृत विवेचन आगे खंड 5.2 में किया गया है।

4. सार्वजनिक जीवन का निजी जीवन पर प्रभाव

4.1 नकारात्मक प्रभाव (3 कृत्य — इनसे बचें)

क्र.	सार्वजनिक कृत्य	निजी जीवन पर प्रभाव	उदाहरण
1	अत्यधिक व्यस्त कार्य-घंटे	परिवार को पर्याप्त समय न दे पाना — केयर एथिक्स (Care Ethics) से समझौता।	दंगों जैसी आपात-स्थिति में लगातार 19 घंटे की ड्यूटी करने वाले किसी राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) अधिकारी का उदाहरण — जिससे घर लौटने पर बच्चों के प्रति चिड़चिड़ापन व दूरी बढ़ सकती है।
2	भ्रष्टाचार या हितों का टकराव (Conflict of Interest)	सामाजिक व पारिवारिक प्रतिष्ठा की गंभीर हानि।	ICICI बैंक की पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (CEO) चंदा कोचर पर वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण में हितों के टकराव व अनियमितता के आरोप लगे, जिनकी जाँच एजेंसियों द्वारा की गई — यह मामला अभी भी विधिक प्रक्रिया (Legal Process) के विभिन्न चरणों में है, इसलिए इसे अंतिम रूप से 'सिद्ध' मानने के बजाय एक 'आरोपित/जाँचाधीन' मामले के तौर पर ही उद्धृत करना उचित है। इस प्रकरण से परिवार की सार्वजनिक छवि पर भी असर पड़ा।
3	कर्तव्य के प्रति अटूट सत्यनिष्ठा — जान जाने तक का जोखिम	परिवार के सदस्यों को आजीवन कष्ट व असुरक्षा।	भारतीय अभियंत्रण सेवा (IES) के अधिकारी सत्येन्द्र दुबे — जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के दौरान वित्तीय अनियमितताएँ उजागर कीं — की नवंबर 2003 में हत्या कर दी गई। उनका परिवार आज भी इस क्षति से जुड़ी पीड़ा को याद करता है — यह दिखाता है कि कभी-कभी सत्यनिष्ठा की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है।

4.2 सकारात्मक प्रभाव (2 कृत्य — इन्हें अपनाएँ)

क्र.	सार्वजनिक कृत्य	निजी जीवन पर प्रभाव	उदाहरण
1	लोकतांत्रिक मूल्यों (समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) में गहरा विश्वास	रचनात्मक, समतामूलक परवरिश (Democratic Parenting)।	आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम ज़िले के कलेक्टर एन. प्रभाकर रेड्डी ने अपने बेटे का दाखिला ज़िले के सरकारी स्कूल में करवाया — यह दिखाने के लिए कि सरकारी स्कूल की गुणवत्ता पर उन्हें स्वयं भरोसा है।
2	कानूनों के गहन अध्ययन व प्रशिक्षण की आदत	सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध व्यक्तिगत जीवन में भी स्पष्ट रुख।	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का गहराई से अध्ययन करने वाला कोई अधिकारी अपने स्वयं के विवाह में दहेज लेने से साफ इनकार कर सकता है — कानून की समझ सीधे निजी नैतिक आचरण में बदल जाती है।

सार्वजनिक जीवन का निजी जीवन पर असर



चित्र 3.7: सार्वजनिक जीवन का निजी जीवन पर असर

📖 कहानी: "पिता का वादा" — कर्तव्य और परिवार के बीच एक पुलिस अधीक्षक

सीकर ज़िले के पुलिस अधीक्षक अर्जुन (काल्पनिक नाम) ने अपनी बेटी से वादा किया था कि उसके स्कूल के वार्षिक समारोह में ज़रूर आएँगे — बेटी उसमें मंच पर भाषण देने वाली थी। ठीक उसी शाम ज़िले में एक बड़े धार्मिक मेले की भीड़ बेकाबू होने की सूचना आई।

अर्जुन के सामने दुविधा थी — एक ओर पिता का वादा और बेटी की आँखों की चमक (निजी कर्तव्य), दूसरी ओर हज़ारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा (सार्वजनिक कर्तव्य)। उन्होंने मेले की व्यवस्था संभाली, पर जाने से पहले बेटी को फ़ोन किया — "बेटा, आज बहुत लोगों को मेरी ज़रूरत है। तुम्हारा भाषण माँ रिकॉर्ड करेगी, और मैं रात को सबसे पहले वही सुनूँगा।" रात दो बजे घर लौटकर उन्होंने सच में वह वीडियो देखा और सुबह बेटी को उसकी पसंदीदा जगह घुमाने ले गए।

इस घटना ने अर्जुन को एक और बात सिखाई — उनके नीचे काम करने वाले सैकड़ों सिपाही रोज़ यही दुविधा झेलते हैं। उन्होंने ज़िले में साप्ताहिक अवकाश का रोस्टर कड़ाई से लागू करवाया, जहाँ संभव हो वहाँ बारह घंटे की पाली तय की, और थानों में परिवार-दिवस शुरू करवाया। अगले छह महीनों में पुलिसकर्मियों की छुट्टी की अर्ज़ियाँ और आपसी तनाव की शिकायतें — दोनों घटीं।

वार्षिक समीक्षा में पुलिस महानिरीक्षक ने लिखा — "जो अधिकारी अपने परिवार के प्रति संवेदनशील है, वही अपने बल के परिवारों के प्रति भी संवेदनशील हो सकता है।"

🔑 **इस कहानी से सीख:** सार्वजनिक कर्तव्य कई बार निजी जीवन से त्याग माँगता है, पर इसका अर्थ परिवार की उपेक्षा नहीं। देखभाल की नैतिकता (Care Ethics) बताती है कि अपनों की देखभाल भी नैतिक दायित्व है। एक संतुलित अधिकारी संकट में कर्तव्य को प्राथमिकता देता है, ईमानदारी से परिवार को कारण समझाता है, और अपने अनुभव से संस्था की नीतियाँ भी अधिक मानवीय बनाता है।

🔴 **ध्यान रहे:** चंदा कोचर वाला उदाहरण एक न्यायालयीन/जाँच-प्रक्रियाधीन मामला है, इसलिए इसे 'सिद्ध भ्रष्टाचार' के बजाय 'हितों के टकराव व आरोपों का उदाहरण' के रूप में ही समझना चाहिए — यही कानूनी रूप से सटीक और संतुलित दृष्टि है।

5. निजी और सार्वजनिक जीवन को अलग क्यों रखें? + अभिसरण (Convergence) कब उचित?

🔍 आसान परिभाषा: हितों का टकराव (Conflict of Interest)

📖 **परिभाषा:** ऐसी स्थिति जिसमें किसी लोकसेवक का निजी हित (पारिवारिक, आर्थिक या भावनात्मक) उसके सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पक्ष निर्वहन में बाधा बन सकता है, या बनता हुआ प्रतीत होता है।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक क्रिकेट अंपायर अपने ही बेटे की टीम के मैच में अंपायरिंग करे — भले ही वह पूरी ईमानदारी से फैसले दे, पर सिर्फ रिश्ते के कारण उसके फैसलों पर संदेह बना रहेगा। इसीलिए ऐसी स्थिति से पहले ही बचना बेहतर है। 🏠 **उदाहरण:** एक अधिकारी को उस ज़िले में तैनात न करना जहाँ उसका पैतृक घर या पारिवारिक व्यवसाय हो — भारत में सिविल सेवा स्थानांतरण-नीतियों का यह एक सामान्य सिद्धांत इसी अवधारणा पर आधारित है।

5.1 हितों के टकराव के तीन रूप और उनसे निपटने के उपाय

◆ **वास्तविक टकराव (Actual):** जब अधिकारी का निजी हित इसी समय उसके आधिकारिक निर्णय को प्रभावित कर रहा हो — जैसे विमानन नीति बनाने वाले मंत्री के पास किसी एयरलाइन के शेयर हों।

◆ **संभावित टकराव (Potential):** जब अभी कोई निर्णय नहीं हो रहा, पर आगे चलकर निजी हित निर्णय को प्रभावित कर सकता है — जैसे भर्ती-समिति के सदस्य का कोई दूर का रिश्तेदार उम्मीदवार हो।

◆ **प्रतीत होने वाला टकराव (Apparent):** जब वास्तव में कोई प्रभाव न हो, पर जनता को ऐसा लगे — जैसे अधिकारी किसी ठेकेदार के निजी समारोह में मुख्य अतिथि बने। यहाँ भी जनता का भरोसा टूटता है।

उपाय	अर्थ	उदाहरण
प्रकटीकरण (Disclosure)	अपने हित की जानकारी पहले ही लिखित में दे देना	संपत्ति और रिश्तेदारों के व्यवसाय की वार्षिक घोषणा
स्वयं को अलग करना (Recusal)	उस निर्णय से स्वयं को हटा लेना	रिश्तेदार से जुड़े टेंडर की समिति से बाहर होना
विनिवेश (Divestment)	टकराव पैदा करने वाली संपत्ति/शेयर बेच देना	संबंधित कंपनी के शेयर बेचना
कार्य-पुनर्व्यवस्था	ज़िम्मेदारी किसी दूसरे को सौंपना	फ़ाइल दूसरे अधिकारी को भेजना
ब्लाइंड ट्रस्ट (Blind Trust)	संपत्ति का प्रबंधन स्वतंत्र व्यक्ति को, जिसकी जानकारी मालिक को न हो	उच्च पदस्थ व्यक्ति की निवेश-व्यवस्था
प्रतीक्षा-अवधि (Cooling-off)	सेवानिवृत्ति के बाद तय समय तक संबंधित निजी नौकरी न लेना	नियामक संस्था से सीधे उसी क्षेत्र की कंपनी में न जाना

भारत में लोक सेवकों के लिए **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964** हितों की घोषणा और पद के दुरुपयोग पर रोक लगाते हैं; कंपनियों के निदेशकों के लिए **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 166 कहती है कि निदेशक कंपनी के हित से टकराव वाली स्थिति में नहीं पड़ेगा। एक आम भ्रम

यह है कि "अगर अंतिम निर्णय सही था तो टकराव से कोई नुकसान नहीं" — यह गलत है, क्योंकि टकराव का होना ही जनता के भरोसे को कमज़ोर कर देता है; प्रक्रिया भी उतनी ही पवित्र होनी चाहिए जितना परिणाम।

हितों का टकराव — पहचान से समाधान तक



चित्र 3.8: हितों का टकराव — पहचान से समाधान तक

5.2 निजी और सार्वजनिक जीवन को अलग रखने की आवश्यकता (Why Separate?)

- ◆ **हितों के टकराव से बचाव** — निजी संबंध सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित न करें, यह सुनिश्चित करना।
- ◆ **व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचाव** — परिवार, जाति या धर्म के आधार पर पक्षपात रोकना।
- ◆ **भाई-भतीजावाद व क्रोनी कैपिटलिज्म (Crony Capitalism) से मुक्ति** — जब निजी संबंध सार्वजनिक संसाधनों (ठेके, खदानें, लाइसेंस, नौकरियाँ) के बँटवारे में घुस जाते हैं, तो योग्य लोगों की जगह रिश्तेदारों और करीबी लोगों को लाभ मिलने लगता है। 'क्रोनी कैपिटलिज्म' यानी 'याराना पूँजीवाद' ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यापारी अपनी मेहनत या गुणवत्ता के बल पर नहीं, बल्कि नेताओं-अधिकारियों से निकटता के बल पर ठेके और छूटें पाते हैं। निजी और सार्वजनिक जीवन को अलग रखकर ही इस पर रोक लगाई जा सकती है।
- ◆ **प्लेटो का दृष्टिकोण** — प्लेटो ने चेतावनी दी थी कि संपत्ति-संचय की प्रवृत्ति (Acquisitive Instincts) और पारिवारिक मोह शासकों को भ्रष्ट कर सकते हैं — इसीलिए उन्होंने अपने आदर्श 'गणतंत्र (Republic)' में शासक-वर्ग (Guardians) के लिए निजी संपत्ति और परिवार के त्याग की कल्पना तक की थी।
- ◆ **नकारात्मक स्पिलओवर प्रभाव (Negative Spillover Effect) को रोकना** — 'स्पिलओवर' का अर्थ है किसी एक क्षेत्र की बात का छलककर दूसरे क्षेत्र में पहुँच जाना। जब निजी जीवन की कोई कमी (जैसे पितृसत्तात्मक सोच, अंध-प्रेम या जातिगत पूर्वाग्रह) अधिकारी के दफ्तरी फ़ैसलों में पहुँच जाती है, तो यह नकारात्मक स्पिलओवर है, जैसा खंड 2 में विस्तार से देखा गया। दोनों जीवनों के बीच एक साफ़ रेखा रखकर ही इसे रोका जा सकता है।

✶ मैक्स वेबर का दृष्टिकोण

जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का मानना था कि सार्वजनिक प्रशासन में ठीक वही नैतिक मापदंड लागू करना बुद्धिमानी नहीं है जो एक व्यक्ति अपने निजी विवेक (Personal Conscience) के मामलों में अपनाता है — क्योंकि प्रशासन में कई बार व्यापक जनहित के लिए वे निर्णय लेने पड़ते हैं जो निजी नैतिकता की कसौटी पर कठोर लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, दंगा-नियंत्रण में तैनात एक पुलिस अधिकारी को अपनी व्यक्तिगत अहिंसा-प्रियता से आगे बढ़कर बल-प्रयोग जैसे कठोर निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं, ताकि व्यापक सार्वजनिक व्यवस्था बहाल हो सके।

5.3 अभिसरण (Convergence) — कब उचित है?

- ◆ **सकारात्मक स्पिलओवर प्रभाव** — करुणा और सत्यनिष्ठा जैसे निजी मूल्यों का सार्वजनिक जीवन में स्वाभाविक विस्तार लाभदायक होता है, जैसा खंड 3 में वायनाड व बूंदी के उदाहरणों में देखा गया।
- ◆ **लोक-चयन सिद्धांत (Public Choice Theory)** — इस सिद्धांत को अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स बुकानन और गॉर्डन टलॉक ने अपनी पुस्तक 'द कैलकुलस ऑफ़ कंसेंट' (The Calculus of Consent, 1962) में विकसित किया; बुकानन को इसके लिए 1986 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। यह सिद्धांत कहता है कि नेता, अधिकारी और मतदाता भी आम लोगों की तरह अपने निजी हित (जैसे वोट, पदोन्नति, बड़ा बजट या अधिक अधिकार) को ध्यान में रखकर फ़ैसले लेते हैं — सरकारी कुर्सी पर बैठते ही कोई व्यक्ति अपने-आप 'निःस्वार्थ' नहीं बन जाता। जैसे कोई विभाग-प्रमुख अपने विभाग का बजट केवल इसलिए बढ़वाने में लगा रहे कि इससे उसका रुतबा बढ़ेगा, भले ही जनता को उसकी उतनी ज़रूरत न हो। इसका अर्थ है कि निजी हित सार्वजनिक निर्णयों में घुसते ही हैं, इसलिए दोनों जीवनों को पूरी तरह अलग मान लेना वास्तविकता से दूर है। इसीलिए यह सिद्धांत सुझाता है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए — जैसे प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, नागरिकों को सेवा चुनने का विकल्प और काम के परिणाम के आधार पर जवाबदेही — जिसमें अधिकारी का निजी हित भी जनहित की दिशा में काम करने लगे।
- ◆ **अराजकतावादी-साम्यवादी (Anarcho-Communist) विचारकों का तर्क** — अराजकतावादी-साम्यवादी वे विचारक हैं (जैसे रूसी विचारक पीटर क्रोपोटकिन) जो ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें न राज्य हो और न निजी संपत्ति, बल्कि लोग आपसी सहयोग से मिल-जुलकर रहें। इनके अनुसार राज्य (सार्वजनिक क्षेत्र) और निजी संपत्ति (निजी क्षेत्र) की अवधारणाएँ आपस में इतनी गुँथी हुई हैं कि दोनों को पूरी तरह अलग-अलग खानों में नहीं रखा जा सकता — क्योंकि राज्य ही क़ानून और पुलिस के ज़रिए निजी संपत्ति की रक्षा करता है, और संपत्ति वाले वर्ग ही अक्सर राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं।

◆ कुछ 'निजी' मुद्दों के सीधे सार्वजनिक परिणाम होते हैं — उदाहरण के लिए, यौन-स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को अक्सर विशुद्ध निजी मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) नीति का भी विषय माना जाता है, क्योंकि इनका असर व्यापक स्वास्थ्य-तंत्र पर पड़ता है।

◆ न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा — उच्चतम न्यायालय के कुछ ऐतिहासिक निर्णय — जैसे सबरीमाला मंदिर प्रवेश से जुड़ा निर्णय (2018) और तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने वाला निर्णय (2017) — इस बात के उदाहरण हैं कि परंपरागत रूप से 'निजी' अथवा धार्मिक-व्यक्तिगत माने जाने वाले क्षेत्रों में भी, जब समानता व गरिमा (अनुच्छेद 14, 15, 21) जैसे मौलिक अधिकारों का प्रश्न आता है, तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप संवैधानिक रूप से उचित माना गया — यह दिखाता है कि निजी-सार्वजनिक की सीमा-रेखा हमेशा एकदम स्पष्ट व निरपेक्ष नहीं होती।

 **ध्यान रहे:** सबरीमाला और तीन तलाक जैसे विषय सामाजिक रूप से संवेदनशील और बहुआयामी हैं — अध्ययन में इन्हें सिर्फ 'निजी-सार्वजनिक अभिसरण' के एक तटस्थ उदाहरण के तौर पर, न्यायालय के संवैधानिक तर्क (समानता व गरिमा का अधिकार) के साथ प्रस्तुत करना उचित रहता है — किसी एक पक्ष की वकालत करने से बचें।

निष्कर्ष — 'लक्ष्मण रेखा' और भावनात्मक बुद्धिमत्ता

निजी और सार्वजनिक जीवन को पूरी तरह अलग करना न तो संभव है, न ही वांछनीय। एक आदर्श प्रशासक को अपनी 'लक्ष्मण रेखा' खुद तय करनी होती है — यानी यह समझना कि कब निजी संवेदनशीलता (जैसे बूंदी कलेक्टर की करुणा) सार्वजनिक भलाई में बदली जा सकती है, और कब निजी पूर्वाग्रह (जैसे भाई-भतीजावाद) को कर्तव्य से पूरी तरह दूर रखना ज़रूरी है। यह फ़र्क समझने की क्षमता ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) है, जो एक प्रशासक को स्वयं और समाज दोनों के लिए अधिकतम लाभकारी बनाती है।

5.4 पूर्ण अलगाव की समस्याएँ — क्यों "लक्ष्मण रेखा" ही व्यावहारिक है?

समस्या	अर्थ
अलग नहीं किए जा सकते	दोनों जीवन को पानी-रोधी डिब्बों में बाँटना धुँधला और कठिन है।
व्यावहारिक नहीं	दोनों लगातार एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं; निजी मूल्य ही सार्वजनिक संबंधों को मानवीय बनाते हैं।
संभालना कठिन	दोनों में टकराव से मन में बेचैनी, असंगति (Dissonance) और भ्रम पैदा होता है।
वांछनीय नहीं	जो निजी जीवन में बेईमान है, वह सार्वजनिक जीवन में ईमानदार नहीं रह सकता।
अति-समानता का ख़तरा	दोनों में बहुत अधिक समानता से नए विचारों और बदलाव की गति रुक सकती है।

अलगाव बनाम अभिसरण — कब क्या?

अलग रखें (Separation)	कब?	मिलने दें (Convergence)
भाई-भतीजावाद, पक्षपात	रिश्ते	करुणा, सहानुभूति
क्रोध, पूर्वाग्रह	भावना	सेवा-भाव, संवेदनशीलता
सरकारी संसाधन निजी काम में	संसाधन	निजी कौशल जनहित में
हितों का टकराव, भ्रष्टाचार	परिणाम	बेहतर, मानवीय सेवा

चित्र 3.9: अलगाव बनाम अभिसरण — कब क्या?

6. सत्यनिष्ठा (Integrity) का दार्शनिक आधार

सत्यनिष्ठा (Integrity) शब्द लैटिन के 'इंटीजर (integer)' / 'इंटीग्रिटास (integritas)' से बना है, जिसका अर्थ है 'पूर्ण, अखंड, समग्र' (Whole/Undivided) — यानी विचार, वाणी और कर्म के बीच कोई विभाजन या अंतर न होना। सरल शब्दों में, सत्यनिष्ठा का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में अपने नैतिक सिद्धांतों पर अडिग रहना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं — यह समय, स्थान और परिस्थिति से परे एक स्थिर गुण है।

आसान परिभाषा: सत्यनिष्ठा (Integrity)

 **परिभाषा:** 'ज्ञान सही रास्ता जानना है, सत्यनिष्ठा उस पर चलना है' — यानी सिर्फ यह जान लेना कि सही क्या है, काफी नहीं; सत्यनिष्ठा तब सिद्ध होती है जब व्यक्ति उस सही रास्ते पर अमल भी करे, चाहे इसमें कितनी भी कठिनाई या प्रलोभन क्यों न हो।

 **आसान भाषा में:** जैसे किसी छात्र को पता है कि परीक्षा में नकल करना गलत है (यह ज्ञान है), पर अवसर मिलने पर भी वह नकल न करे — यही उसकी सत्यनिष्ठा है। सिर्फ नियम जानना काफी नहीं, नियम पर टिके रहना ज़रूरी है।  **उदाहरण:** एक अधिकारी को पता है कि रिश्तत लेना गलत है — यह तो हर कोई जानता है। पर जब सामने असली मौका आए (कोई बड़ी रकम की पेशकश हो) और वह उसे ठुकरा दे — तभी असल में उसकी सत्यनिष्ठा साबित होती है।

6.1 सत्यनिष्ठा के तीन प्रकार

प्रकार	अर्थ
1. बौद्धिक सत्यनिष्ठा (Intellectual Integrity)	दूसरों के विचारों व कार्यों को उतनी ही निष्पक्षता व कठोरता से जाँचना, जितनी खुद के विचारों को — यानी दोहरा मापदंड न अपनाना।
2. व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा (Personal Integrity)	अपने विचार, वाणी और आचरण में कोई विरोधाभास न रखना — जैसा सोचें, वैसा ही कहें और वैसा ही करें।
3. व्यावसायिक सत्यनिष्ठा (Professional Integrity)	अपने पेशे की आचार संहिता (Code of Conduct) का पूर्ण, ईमानदार पालन करना।

ऊपर के तीन प्रकारों के साथ एक चौथा प्रकार भी है — **नैतिक सत्यनिष्ठा (Moral Integrity)**, यानी दूसरों को और स्वयं को सही-गलत आँकने के लिए एक ही, ईमानदार मापदंड अपनाना। सत्यनिष्ठ व्यक्ति का नियंत्रण भीतर से होता है (Internal Locus of Control) — वह अपनी अंतरात्मा से चलता है, आस-पास के माहौल से नहीं।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि सिविल सेवक अपने आधिकारिक निर्णयों में केवल जनहित से निर्देशित हों — अपने, अपने परिवार या मित्रों के किसी आर्थिक या अन्य लाभ के विचार से नहीं।

6.2 सिविल सेवकों के लिए सत्यनिष्ठा क्यों अनिवार्य है?

- ◆ सत्यनिष्ठा नैतिकता को व्यवहार से जोड़ती है — यह "कोई न देखे, तब भी सही करना" सुनिश्चित करती है।
- ◆ सिविल सेवक सार्वजनिक संसाधनों, लाभार्थियों के चयन, न्यायिक-प्रकृति के निर्णयों और नीति-निर्माण — सबसे जुड़े होते हैं; यहाँ थोड़ी-सी कमी भी बड़ा नुकसान करती है।
- ◆ सत्यनिष्ठा "मोल-भाव से परे" (Non-negotiable) और "चुनिंदा नहीं" (Non-selective) होती है — यानी इसका किसी लाभ, पद या दबाव के बदले सौदा नहीं किया जा सकता, और इसे केवल सुविधा वाली जगहों पर नहीं, बल्कि हर स्थिति और हर व्यक्ति (अपने परिचित के मामले में भी) पर एक जैसा लागू किया जाता है। इसीलिए सत्यनिष्ठ अधिकारी दूसरों के लिए आदर्श बनता है।
- ◆ **दक्षता के लिए सत्यनिष्ठा ज़रूरी है, पर अकेली पर्याप्त नहीं** — उसके साथ ज्ञान और कौशल भी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ईमानदार इंजीनियर रिश्तत तो नहीं लेगा, पर यदि उसे पुल-निर्माण की तकनीक ठीक से नहीं आती तो पुल फिर भी कमज़ोर बन सकता है; इसलिए अच्छे प्रशासन के लिए ईमानदार नीयत और काम की योग्यता — दोनों साथ चाहिए।

सत्यनिष्ठा में गिरावट के कारण	सुधार के उपाय
औपनिवेशिक विरासत और सत्ता का दुरुपयोग	पद और वेतन के बीच का अंतर कम करना (ज़िम्मेदारी के अनुरूप सम्मानजनक वेतन)
बदलते मूल्य और बढ़ती भौतिक इच्छाएँ	प्रक्रियाओं को सरल बनाना, विवेकाधिकार घटाना
भ्रष्टाचार के विरुद्ध कमज़ोर जनमत	भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्वस्थ जनमत तैयार करना
जटिल और उलझी प्रक्रियाएँ	वार्षिक मूल्यांकन में सत्यनिष्ठा का अलग कॉलम
अपर्याप्त क़ानून, अनुचित संरक्षण	सत्यनिष्ठा समझौता (Integrity Pact) — सरकारी ख़रीद में

🔍 आसान परिभाषा: सत्यनिष्ठा समझौता (Integrity Pact)

📘 **परिभाषा:** सरकारी ख़रीद या बड़े अनुबंधों में सरकार और सभी बोली लगाने वालों के बीच किया गया एक लिखित वचन, कि कोई भी पक्ष रिश्तत या अनुचित तरीक़ा नहीं अपनाएगा, और इसकी निगरानी स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता करते हैं; यह साधन अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) ने विकसित किया।

💡 **आसान भाषा में:** ठेका देने से पहले सब पक्ष लिखकर वादा करते हैं कि "न रिश्तत देंगे, न लेंगे", और एक स्वतंत्र व्यक्ति इस वादे पर नज़र रखता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी खेल-प्रतियोगिता से पहले सभी टीमों "फ़िक्सिंग नहीं करेंगे" का शपथ-पत्र भरें और एक तटस्थ पर्यवेक्षक पूरे मैच पर नज़र रखे।

☀️ राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने परिवार का बिल खुद चुकाया

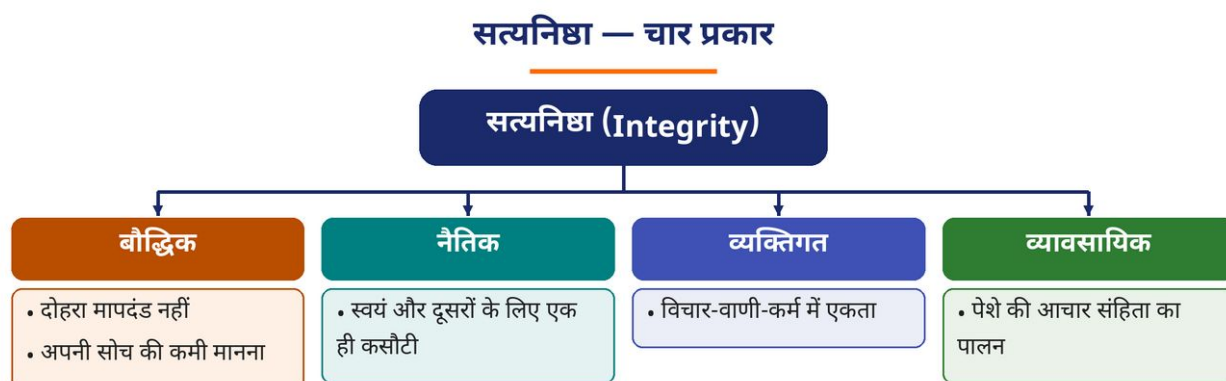
राष्ट्रपति रहते हुए डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने एक बार अपने परिवार के सदस्यों को कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति भवन बुलाया। नियमों के अनुसार इसका खर्च राष्ट्रपति भवन उठा सकता था, पर कलाम ने इस पूरे ठहराव का खर्च अपनी जेब से चुकाया। उनके लिए सार्वजनिक पद और निजी रिश्तों के बीच की रेखा साफ़ थी — यही **गैर-चुनिंदा (Non-selective) सत्यनिष्ठा** है, जो "नियम अनुमति देता है" पर नहीं, बल्कि "क्या उचित है" पर चलती है।

☀️ धमकियों के बावजूद सत्यनिष्ठा — संजीव चतुर्वेदी

भारतीय वन सेवा के अधिकारी **संजीव चतुर्वेदी** ने हरियाणा में और बाद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में मुख्य सतर्कता अधिकारी रहते हुए कई अनियमितताएँ उजागर कीं। उन्हें बार-बार तबादलों, विभागीय कार्यवाहियों और धमकियों का सामना करना पड़ा, पर वे

अपने रास्ते से नहीं हटे। उनके भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यों के लिए उन्हें 2015 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। उनका जीवन दिखाता है कि सत्यनिष्ठा की परीक्षा "समझौते से पूर्ण इनकार" में होती है।

“ लोगों को नियुक्त करते समय तीन गुण देखिए — सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा; और यदि पहला गुण नहीं है, तो बाकी दो आपको डूबो देंगे। (In looking for people to hire, you look for three qualities: integrity, intelligence, and energy. And if they don't have the first, the other two will kill you.) ” — वॉरेन बफ़ेट (Warren Buffett)



चित्र 3.10: सत्यनिष्ठा — चार प्रकार

6.3 सत्यनिष्ठा से जुड़े कुछ प्रेरक कथन

- ◆ "Wisdom is knowing the right path, Integrity is walking on it." — ज्ञान सही रास्ता जानना है, सत्यनिष्ठा उस पर चलना है।
- ◆ "Integrity without knowledge is weak; Knowledge without Integrity is dangerous." — बिना ज्ञान के सत्यनिष्ठा कमज़ोर है, और बिना सत्यनिष्ठा के ज्ञान खतरनाक।
- ◆ महात्मा गांधी — साध्य (Ends) और साधन (Means), दोनों ही पवित्र होने चाहिए; गलत साधनों से पाया गया सही लक्ष्य भी नैतिक नहीं ठहरता।

6.4 सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार — विस्तृत तालिका

आधार	प्रमुख अवधारणाएँ
आंतरिक विश्वास (Inner Conviction)	गांधीजी की 'अंतरात्मा की आवाज़ (Conscience)'; बुद्ध की आध्यात्मिक चेतना (Spiritual Enlightenment) — यह विचार कि नैतिक मूल्य किसी बाहरी दबाव से नहीं, आत्मा की गहराई से उपजते हैं। कई अध्ययन यह भी बताते हैं कि दयालुता व सहानुभूति जैसे गुणों में व्यक्ति के स्वभाव (आनुवंशिक प्रवृत्ति) का भी कुछ योगदान होता है, पर परिवर्तन, संस्कार और वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक निर्णायक माना जाता है।
प्राचीन भारतीय दर्शन	ऋग्वेद — ऋत (ब्रह्मांड का शाश्वत नैतिक नियम) और ऋण (देव, ऋषि व पितरों के प्रति कर्तव्य-भाव) की अवधारणा; उपनिषद, गीता, स्मृतियाँ, संहिताएँ; चार पुरुषार्थ — धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष; 'सत्यमेव जयते' (मुण्डकोपनिषद); 'मा गृधः कस्यस्विद्धनम्' — किसी और के धन का लालच मत करो (ईशावास्योपनिषद); चाणक्य का अर्थशास्त्र — दो दीपकों की कथा (नीचे देखें)।
आधुनिक भारत	विवेकानंद — 'मानव सेवा ही ईश्वर सेवा'; गांधीजी — सत्य और अहिंसा; संविधान की प्रस्तावना — न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व; मिशन कर्मयोगी — सिविल सेवकों में सत्यनिष्ठा विकसित करने की आधुनिक पहल।
पाश्चात्य दर्शन	सुकरात — ज्ञान सर्वोच्च; प्लेटो — आत्मा के तीन अंगों (विवेक, साहस, इच्छा) का सामंजस्य; अरस्तू — स्वर्णिम मध्य-मार्ग (Golden Mean); कांट — कर्तव्य सर्वोपरि है; जॉन रॉल्स — अज्ञानता का पर्दा (Veil of Ignorance); जेरेमी बेन्थम — अधिकतम लोगों का अधिकतम हित; मैक्स वेबर — निष्पक्ष, नियम-आधारित प्रशासन; विश्व बैंक की 1992 की रिपोर्ट — सुशासन (Good Governance) पर बल।

☀ कहानी — चाणक्य के दो दीपक

कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य अपने कक्ष में दो अलग-अलग दीपक जलाकर रखते थे — एक दीपक की रोशनी में वे राजकाज (राज्य से जुड़ा काम) करते थे, और जैसे ही कोई निजी पत्र लिखना होता, वे तुरंत राजकीय दीपक बुझाकर अपना निजी दीपक जला लेते थे। यह छोटी-सी आदत यह सिखाती है कि सार्वजनिक पद से मिले संसाधन का एक कण भी निजी काम में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए — यही 'प्रोबिटी (Probity)' यानी सदाचरिता का सबसे सरल पर सबसे गहरा उदाहरण है।

☀ कहानी — लाल बहादुर शास्त्री की कार-ऋण वाली सत्यनिष्ठा

भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यह प्रसंग व्यापक रूप से बताया जाता है कि उन्होंने अपनी पहली कार खरीदने के लिए एक

राष्ट्रीयकृत बैंक से लगभग ₹5,000 का ऋण लिया था (सटीक बैंक का नाम व राशि अलग-अलग स्रोतों में थोड़ी भिन्न बताई जाती है)। उनके निधन के बाद यह ऋण पूरी तरह चुका नहीं पाया गया था, और बाद में उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने अपनी पारिवारिक पेंशन से इस ऋण की शेष राशि चुकाई। एक प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने निजी खर्च के लिए सरकारी नहीं, बल्कि नियमित बैंक-ऋण का सहारा लेना — यह सादगी और सत्यनिष्ठा का एक व्यापक रूप से प्रचलित व प्रेरक उदाहरण है।

“ कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से निजी लाभ न उठाए — जिस तरह जल में रहने वाली मछली के पानी पीने का पता नहीं चलता, उसी तरह राजकर्मचारी के धन-हरण का भी पता लगाना कठिन होता है; इसलिए उन पर सतत निगरानी आवश्यक है। (भावार्थ — अर्थशास्त्र, अधिकरण 2) ” — कौटिल्य (चाणक्य)

क्या प्रशासनिक वस्तुनिष्ठता (Objectivity) आवश्यक रूप से प्रशासनिक सत्यनिष्ठा (Integrity) को मानकर चलती है? हाँ — बिना सत्यनिष्ठा (ईमानदार नीयत) के वस्तुनिष्ठता टिक ही नहीं सकती, क्योंकि निष्पक्ष दिखने वाला निर्णय भी अगर बेईमान नीयत से लिया गया हो तो वह सिर्फ दिखावा है। चाणक्य व शास्त्री जी के उदाहरण इस तर्क को मज़बूत बनाते हैं।

7. निष्पक्षता (Impartiality) — परिभाषा, महत्व और उपाय

🔍 आसान परिभाषा: निष्पक्षता (Impartiality)

📖 **परिभाषा:** बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के, केवल वस्तुनिष्ठ मापदंडों (Objective Criteria) या योग्यता के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक अध्यापक कक्षा में सभी छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाएँ एक ही मापदंड से जाँचे — चाहे वह छात्र उसका मनपसंद हो या न हो, नंबर सिर्फ उत्तर की गुणवत्ता के आधार पर मिलने चाहिए। 🏠 **उदाहरण:** एक भर्ती परीक्षा में चयन-समिति में बैठा अधिकारी अपने किसी परिचित उम्मीदवार को अतिरिक्त अंक न दे, बल्कि सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन ठीक उसी एक तय मापदंड-सूची (Rubric) से करे — यही प्रशासनिक निष्पक्षता है।

7.1 पूर्वाग्रह, पक्षपात और पूर्व-निर्णय — तीन मिलते-जुलते शब्द

- ◆ **पूर्वाग्रह (Bias):** किसी एक पक्ष की ओर झुकाव, जो दूसरे की कीमत पर होता है। यह मन की अभिवृत्ति (Attitude) है।
- ◆ **पक्षपात (Partiality):** पूर्वाग्रह का परिणाम — यानी व्यवहार में किसी के साथ तरजीह। पूर्वाग्रह मन में होता है, पक्षपात आचरण में दिखता है।
- ◆ **पूर्व-निर्णय (Prejudice):** पूरी जानकारी के बिना किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से ही राय बना लेना — जैसे किसी के पहनावे या गाँव को देखकर ही मान लेना कि वह झूठ बोल रहा होगा। खंड 2 की कहानी में ज़िला शिक्षा अधिकारी महेश के मन में बचपन से बैठी धारणाएँ इसी का उदाहरण थीं।

7.2 राजनीतिक निष्पक्षता और सार्वजनिक निष्पक्षता

राजनीतिक निष्पक्षता (Political Impartiality): सिविल सेवक अपनी निजी राजनीतिक मान्यताओं के बावजूद हर सरकार की पूरी क्षमता से सेवा करता है — वह पद की सेवा करता है, पद पर बैठे व्यक्ति की नहीं। वह मंत्रियों के निर्णयों की सार्वजनिक आलोचना नहीं करता, उनकी नीतियों को वस्तुनिष्ठता से लागू करता है, और मंत्री को दी गई अपनी सलाह को गोपनीय रखता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने (2007 की "शासन में नैतिकता" रिपोर्ट में) मंत्रियों की आचार संहिता में यह जोड़ने की सिफ़ारिश की कि मंत्री सिविल सेवाओं की राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखेंगे और उन पर ऐसा कोई दबाव नहीं डालेंगे जो उनके कर्तव्यों से टकराए।

सार्वजनिक निष्पक्षता (Public Impartiality): सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार — यह अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक दायित्व है। पर जहाँ परिस्थितियाँ असमान हों, वहाँ निष्पक्षता का अर्थ समता (Equity) और न्यायसंगतता (Fairness) हो जाता है — जैसे बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अलग कतार, या सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण।

🔍 आसान परिभाषा: समता (Equity)

📖 **परिभाषा:** असमान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ उनकी ज़रूरत के अनुसार अलग व्यवहार करना, ताकि अंततः सबको वास्तविक रूप से बराबर अवसर मिल सके।

💡 **आसान भाषा में:** सबको एक जैसा देना "समानता" है; जिसकी जितनी ज़रूरत, उसे उतना देना "समता" है। 🏠 **उदाहरण:** दीवार के पार मैच देखने के लिए लंबे, मध्यम और छोटे — तीनों बच्चों को एक-एक स्टूल देना समानता है; छोटे बच्चे को दो स्टूल देना समता है।

राजनीतिक निष्पक्षता बनाम सार्वजनिक निष्पक्षता

राजनीतिक निष्पक्षता	बनाम	सार्वजनिक निष्पक्षता
राजनीतिक नेतृत्व, सरकार	किसके प्रति	सभी नागरिक
हर सरकार की समान निष्ठा से सेवा	अर्थ	सबके साथ समान व्यवहार
पद की सेवा, व्यक्ति की नहीं	आधार	अनुच्छेद 14, 15
सलाह की गोपनीयता	अपवाद	असमान स्थिति में समता

चित्र 3.11: राजनीतिक निष्पक्षता बनाम सार्वजनिक निष्पक्षता

7.3 प्रशासनिक महत्व

- सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक सेवा के पहले बैच (21 अप्रैल 1947, मेटकाफ़ हाउस, दिल्ली — इसी की याद में यह दिन सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है) को संबोधित करते हुए निष्पक्षता को प्रशासन का एक प्रमुख स्तंभ बताया था। उन्होंने कहा था कि सिविल सेवकों को न तो राजनीति में भाग लेना चाहिए और न ही सांप्रदायिक झगड़ों में उलझना चाहिए, ताकि हर नागरिक उस पर समान रूप से भरोसा कर सके।
- जॉन रॉल्स का 'अज्ञानता का पर्दा (Veil of Ignorance)' सिद्धांत निष्पक्ष न्याय का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक आधार है (विस्तार नीचे 7.2 में)।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने निष्पक्षता को सिविल सेवकों की आचार संहिता (Code of Ethics) का अनिवार्य हिस्सा बनाने की सिफ़ारिश की।
- खरीद (Procurement), भर्ती (Recruitment) और सेवा-वितरण (Service Delivery) में योग्यता-आधारित निर्णय ही प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करते हैं — क्योंकि जब ठेका सबसे अच्छी शर्तों वाले बोलीदाता को, नौकरी सबसे योग्य उम्मीदवार को और सेवा सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिलती है, तो जनता के पैसे का सही उपयोग होता है और काम की गुणवत्ता बढ़ती है।
- अनुच्छेद 14-18 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19-22 (स्वतंत्रता का अधिकार) जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन में निष्पक्षता अनिवार्य है — पक्षपातपूर्ण निर्णय सीधे इन अधिकारों का हनन कर सकते हैं।

7.4 दार्शनिक आधार

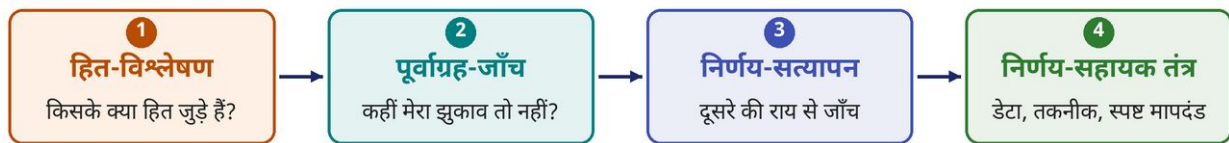
दार्शनिक/सिद्धांत	निष्पक्षता का आधार
कांट का सार्वभौमिकता सिद्धांत (Universality Principle)	कोई भी नियम तभी नैतिक माना जाएगा जब वह बिना विरोधाभास के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो सके — यानी कानून के समक्ष समानता।
जॉन रॉल्स — अज्ञानता का पर्दा (Veil of Ignorance)	यह विचार-प्रयोग बताता है कि यदि कोई निर्णयकर्ता अपनी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति आदि से अनजान हो (जैसे उस पर एक 'पर्दा' पड़ा हो), तभी वह सबसे निष्पक्ष निर्णय ले सकता है — क्योंकि उसे पता नहीं होता कि निर्णय का असर स्वयं उस पर किस रूप में पड़ेगा।
उपयोगितावाद (बेन्थम + जे.एस. मिल)	बिना किसी भेदभाव के, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को सुनिश्चित करना ही सही निर्णय की कसौटी है।
भगवद्गीता — समभाव (अध्याय 5, श्लोक 18)	गीता में कहा गया है कि सच्चा ज्ञानी विद्या-विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी और यहाँ तक कि कुत्ते व चांडाल (हाथियों पर खड़े व्यक्ति) को भी समान दृष्टि (समभाव) से देखता है — यानी बाहरी पहचान के आधार पर भेद न करना ही सच्चा ज्ञान व निष्पक्षता है।

7.5 निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करें?

उपाय	विवरण / उदाहरण
स्पष्ट नियम व लाभार्थियों की परिभाषा	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाएँ — जहाँ लाभार्थी स्वतः, बिना विवेकाधिकार (Discretion) के तय होते हैं।
पारदर्शिता और जवाबदेही	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI), सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), ई-बिडिंग, तथा मनरेगा (MGNREGA) जैसी योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) — राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण के ज़रिए कई बार पक्षपात व अनियमितताएँ उजागर हुई हैं।
मिशन कर्मयोगी	सिविल सेवकों में सत्यनिष्ठा व निष्पक्षता जैसे मूल्य विकसित करने की क्षमता-निर्माण पहल, ताकि पक्षपातपूर्ण निर्णयों से बचा जा सके।

उपाय	विवरण / उदाहरण
तर्कसंगत सोच (Rational Thinking)	'अज्ञानता के पर्दे' वाली सोच अपनाकर पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं से मुक्त होने का प्रयास।
संवेदीकरण प्रशिक्षण (Sensitization Training)	अचेतन पूर्वाग्रह (Unconscious Bias) पर नियमित प्रशिक्षण — जैसे पुलिस बल और अधिकारियों का नियमित लैंगिक संवेदीकरण प्रशिक्षण।
आचार संहिता	अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 — जो सिविल सेवकों के लिए कड़े नैतिक मापदंड तय करते हैं।
संस्थागत जाँच-व्यवस्था	आंतरिक समितियाँ, सिविल सेवा बोर्ड, 360-डिग्री मूल्यांकन, तथा वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) जैसी व्यवस्थाएँ।
आदर्श नेतृत्व (Role Models)	ई. श्रीधरन (दिल्ली मेट्रो) और टी.एन. शेषन (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त) — निष्पक्ष व सत्यनिष्ठ नेतृत्व के व्यापक रूप से उद्धृत उदाहरण।

निष्पक्ष निर्णय की चार सीढ़ियाँ



चित्र 3.12: निष्पक्ष निर्णय की चार सीढ़ियाँ

सार-रूप में निष्पक्षता: निष्पक्षता की परिभाषा, रॉल्स का अज्ञानता का पर्दा (Veil of Ignorance) और उसे व्यवहार में उतारने वाले उपाय — जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और सूचना का अधिकार (RTI) — ये तीनों मिलकर निष्पक्षता की पूरी तस्वीर बनाते हैं।

8. गैर-पक्षपात (Non-Partisanship) — परिभाषा, महत्व और उपाय

गैर-पक्षपात का अर्थ है — किसी भी राजनीतिक दल-विशेष के प्रति झुकाव न रखना। एक सिविल सेवक को अपने आधिकारिक निर्णयों व कार्यों में राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए, चाहे सत्ता में कोई भी दल हो।

आसान परिभाषा: गैर-पक्षपात बनाम राजनीतिक तटस्थता

परिभाषा: गैर-पक्षपात (Non-Partisanship) का अर्थ है — अपने आधिकारिक निर्णयों और कार्यों में किसी राजनीतिक दल-विशेष के प्रति झुकाव न रखना, जबकि पूरी सक्रियता व निष्ठा से जनसेवा करते रहना। इसके विपरीत, राजनीतिक तटस्थता (Political Neutrality) का अर्थ है — सेवा में रहते हुए सक्रिय दलगत राजनीति, सार्वजनिक प्रचार या किसी दल के खुले समर्थन से दूर रहना।

आसान भाषा में: जैसे एक रेफरी किसी भी टीम का समर्थन नहीं करता (राजनीतिक तटस्थता जैसी दूरी), पर फिर भी वह मैच में पूरी तरह सक्रिय रहकर हर नियम को बिना पक्षपात के लागू करता है (गैर-पक्षपात जैसी सक्रिय निष्पक्षता) — निष्क्रिय होना और निष्पक्ष होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। **उदाहरण:** चुनाव के दौरान एक ज़िला निर्वाचन अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में झुकाव नहीं दिखाता (गैर-पक्षपात), पर साथ ही वह खुद किसी दल की रैली में सार्वजनिक रूप से शामिल भी नहीं होता (राजनीतिक तटस्थता) — दोनों मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि सिविल सेवक की निष्ठा किसी दल के प्रति नहीं, बल्कि संविधान और जनहित के प्रति बनी रहे।

8.1 राजनीति-प्रशासन द्विभाजन (Politics-Administration Dichotomy)

गैर-पक्षपात का सैद्धांतिक आधार यह विचार है कि राजनीति और प्रशासन दो अलग क्षेत्र हैं। यह विचार सबसे पहले अमेरिकी विद्वान वुड्रो विल्सन (जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने) ने 1887 में अपने लेख 'प्रशासन का अध्ययन (The Study of Administration)' में रखा था, और बाद में फ्रैंक गुडनाउ ने इसे आगे बढ़ाया। राजनेता नीति बनाते हैं और प्रशासक उसे लागू करते हैं; इसलिए दोनों को एक-दूसरे के काम में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका उद्देश्य दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर सुशासन सुनिश्चित करना है।

आधार	राजनेता	सिविल सेवक
उत्पत्ति	चुनाव से	योग्यता-आधारित परीक्षा से
प्रकृति	दलगत, अस्थायी (कार्यकाल तक)	गैर-दलगत, स्थायी, पेशेवर
कार्यस्थल	संसद/विधानसभा	सचिवालय, ज़िला, क्षेत्र
मुख्य कार्य	नीति बनाना, जनता का प्रतिनिधित्व	नीति लागू करना, तकनीकी सलाह देना

राजनीतिक पक्षपात और दलगत सक्रियता में अंतर: राजनीतिक पक्षपात (Partiality) निष्क्रिय होता है — मन का झुकाव; जबकि दलगत सक्रियता (Partisanship) सक्रिय होती है — किसी दल के लिए खुलकर काम करना। हर पक्षपात दलगत सक्रियता में नहीं बदलता, पर दोनों ही सिविल सेवा के लिए हानिकारक हैं।

8.2 प्रशासनिक महत्व

- ◆ चुनावों के दौरान सिविल सेवक निर्वाचन अधिकारी (Electoral Officer), रिटर्निंग अधिकारी व चुनाव आयुक्त जैसी भूमिकाएँ निभाते हैं — स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए गैर-पक्षपात अनिवार्य है।
- ◆ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने गैर-पक्षपात को सिविल सेवकों की आचार संहिता का हिस्सा बनाने की सिफारिश की।
- ◆ आपातकाल की ज़्यादातियों की जाँच के लिए 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग (Shah Commission) ने आपातकाल (1975-77) के दौरान प्रशासन में हुए राजनीतिक पक्षपात की गंभीर समस्याओं को उजागर किया था — आयोग ने पाया कि कई अधिकारियों ने कानून के बजाय सत्ताधारी नेताओं के मौखिक और अवैध आदेशों पर लोगों की गिरफ्तारी जैसे कदम उठाए थे।
- ◆ संयुक्त सचिव व उससे ऊपर के अधिकारी नियमित रूप से राजनेताओं से मिलते हैं — ऐसे में तटस्थता बनाए रखना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण व ज़रूरी हो जाता है।
- ◆ यह क्रोनी कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार और 'स्पॉइल सिस्टम' (सत्ता बदलते ही मनचाहे अधिकारियों को नवाज़ना) जैसी प्रवृत्तियों को कम करने में मदद करता है।
- ◆ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन को अक्सर गैर-पक्षपाती, निर्भीक प्रशासन के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।
- ◆ केंद्र-राज्य संबंधों की जाँच के लिए 1983 में बने सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) ने राज्यपाल की नियुक्ति में गैर-पक्षपात को अनिवार्य बताया — उसकी सिफारिश थी कि राज्यपाल ऐसा व्यक्ति हो जो हाल के समय में सक्रिय राजनीति से जुड़ा न रहा हो, ताकि वह केंद्र में सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि की तरह काम न करे।

8.3 दार्शनिक आधार

दार्शनिक/सिद्धांत	गैर-पक्षपात का आधार
मैक्स वेबर की नौकरशाही (Bureaucracy)	एक पेशेवर, तटस्थ, नियम-आधारित नौकरशाही की कल्पना — जो संविधान व राज्य की सेवा करे, किसी राजनीतिक दल की नहीं।
जॉन लॉक — सामाजिक अनुबंध (Social Contract)	लोक सेवकों की वैधता (Legitimacy) जनता की सहमति से मिलती है, किसी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा से नहीं।
गांधीवादी नैतिकता	नैतिकता से रहित राजनीति एक 'पाप' के समान है — प्रशासन का मार्गदर्शन सत्य, न्याय और जनकल्याण से होना चाहिए, दलगत हितों से नहीं।

8.4 तटस्थता के आचरण नियम और तटस्थता की आलोचना

सिविल सेवा तटस्थता (Neutrality) का अर्थ है कि अधिकारी पूरे सेवाकाल में राजनीतिक रूप से निष्पक्ष और गैर-दलगत रहे — राजनीति के उतार-चढ़ाव से नौकरशाही अप्रभावित रहे। आचरण नियमों के अनुसार अधिकारी:

- ◆ राजनीति में भाग नहीं ले सकता और किसी दल को चुनावी चंदा या सहायता नहीं दे सकता।
- ◆ मतदान कर सकता है, पर अपनी पसंद दूसरों को नहीं बता सकता।
- ◆ अपने शरीर, वाहन या घर पर कोई चुनाव-चिह्न प्रदर्शित नहीं कर सकता।
- ◆ सरकार की अनुमति के बिना रैली, धरना-प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता।

आधार	तटस्थ नौकरशाही (Neutral)	प्रतिबद्ध नौकरशाही (Committed)
अर्थ	किसी दल या विचारधारा से बँधी नहीं	सरकार के कार्यक्रमों और संवैधानिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध
लाभ	निष्पक्षता, निरंतरता, जनता का भरोसा	विकास-कार्यों में तेज़ी, उत्साह
खतरा	निष्क्रियता, "रोबोट जैसी" उदासीनता	दल-विशेष के प्रति झुकाव, राजनीतिकरण
संतुलन	दलगत तटस्थता के साथ संविधान और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता	

आलोचना: कई विद्वान कहते हैं कि पूर्ण तटस्थता कभी-कभी निष्क्रियता और डरपोकपन का बहाना बन जाती है। इसलिए आज का संतुलित दृष्टिकोण है — **दलों के प्रति तटस्थ, पर संविधान और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्ध।**

गैर-पक्षपात के उल्लंघन के परिणाम: राजनेता-अधिकारी गठजोड़ से बड़े घोटाले, हर सरकार के "पसंदीदा अधिकारी" बनने से राजनीतिकरण, बार-बार तबादले और निलंबन का डर, और अंततः जनता के भरोसे का टूटना। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में (टी.एस.आर. सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ) केंद्र और राज्यों को तबादलों-पदोन्नति के लिए **सिविल सेवा बोर्ड** बनाने, अधिकारियों का **न्यूनतम निश्चित कार्यकाल** तय करने और **मौखिक आदेशों पर काम न करने** (हर निर्देश लिखित में) के निर्देश दिए।

गैर-पक्षपात कैसे सुनिश्चित हो?



चित्र 3.13: गैर-पक्षपात कैसे सुनिश्चित हो?

8.5 गैर-पक्षपात कैसे सुनिश्चित करें?

- ◆ **राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करना** — जब स्वतंत्र दबाव-समूह (Interest Groups — जैसे किसान, व्यापारी या उपभोक्ता संगठन), निष्पक्ष निर्वाचन-प्रणाली, सजग मीडिया और सक्रिय न्यायपालिका मौजूद हों, तो कोई भी दल अधिकारियों से मनमाना काम नहीं करवा पाता, क्योंकि हर गलत दबाव के उजागर होने और उस पर कार्रवाई होने का डर रहता है।
- ◆ **राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र (Internal Democracy)** की स्थापना — जब दलों के भीतर पदाधिकारियों और प्रत्याशियों का चयन खुले, लोकतांत्रिक तरीके से होता है, तो दल किसी एक नेता या परिवार की निजी जागीर नहीं बनते; ऐसे दल सत्ता में आने पर अधिकारियों से निजी वफादारी के बजाय नियमों के अनुसार काम की अपेक्षा रखते हैं।
- ◆ **सिविल सेवा बोर्ड (टी.एस.आर. सुब्रमण्यम मामला, 2013)** — स्थानांतरण, पदोन्नति व नियुक्ति में राजनेताओं के मनमाने हस्तक्षेप को सीमित करना।
- ◆ **अनुच्छेद 319** — संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य को कार्यकाल पूरा होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य नौकरी लेने से रोकना (कुछ अपवादों को छोड़कर — जैसे आयोग का सदस्य आगे संघ या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है), ताकि उनकी निष्पक्षता पर राजनीतिक प्रभाव का संदेह न रहे।
- ◆ **मिशन कर्मयोगी** — सिविल सेवकों में सत्यनिष्ठा व गैर-पक्षपात जैसे मूल्यों का सतत विकास।

कहानी: "मतगणना की रात" — एक रिटर्निंग अधिकारी की परीक्षा

विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही थी। उपखंड अधिकारी सीमा (काल्पनिक नाम) एक विधानसभा क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी थीं। अंतिम दौर तक सत्ताधारी दल का प्रत्याशी केवल 312 मतों से पीछे चल रहा था। उसके समर्थक बाहर नारे लगा रहे थे, और एक वरिष्ठ नेता का फ़ोन आया — "डाक मतपत्रों में से कुछ रद्द कर दीजिए, और दोबारा गिनती का आदेश दे दीजिए।"

सीमा पर दबाव दोनों ओर से था। कुछ ही मिनट बाद जीतते दिख रहे विपक्षी प्रत्याशी के एजेंट ने माँग की कि "बाक़ी गिनती रोककर तुरंत हमें विजयी घोषित करो।" सीमा जानती थी कि उनका काम किसी को जिताना या हराना नहीं, बल्कि नियमों के अनुसार सही गिनती करवाना है।

उन्होंने हर डाक मतपत्र की जाँच दोनों दलों के एजेंटों के सामने, वीडियो-रिकॉर्डिंग में करवाई। रद्द होने वाले मतपत्रों के कारण नियम-पुस्तिका के अनुसार लिखित में दर्ज किए। जब सत्ताधारी दल के प्रत्याशी ने पुनर्गणना का लिखित आवेदन दिया, तो उन्होंने नियमों के अनुसार उसकी जाँच की, कारण सहित निर्णय लिखा, और जो हिस्सा नियम के अनुसार पुनर्गणना योग्य था, उसकी दोबारा गिनती दोनों पक्षों के सामने करवाई। अंतर 298 मतों पर आकर स्थिर हुआ, और उन्होंने परिणाम घोषित किया।

अगले दिन हारने वाले प्रत्याशी ने अदालत जाने की बात कही, पर उनके वकील ने रिकॉर्डिंग और लिखित आदेश देखकर कहा — "प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है।" राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बाद में प्रशिक्षण-कार्यक्रम में सीमा की प्रक्रिया को उदाहरण के रूप में पढ़ाया।

🔑 **इस कहानी से सीख:** गैर-पक्षपात का अर्थ किसी दल के विरुद्ध होना नहीं, बल्कि सभी दलों के प्रति एक-सा कठोर नियम लागू करना है। रिकॉर्डिंग, लिखित कारण और सबकी मौजूदगी में प्रक्रिया — ये ही दबाव के समय अधिकारी की सबसे बड़ी सुरक्षा हैं। टी.एन. शेषन से लेकर हर ईमानदार रिटर्निंग अधिकारी तक, यही लोकतंत्र में भरोसे की नींव है।

गैर-पक्षपात और राजनीतिक तटस्थता का फ़र्क: सबसे आसान तरीका — गैर-पक्षपात = 'सक्रिय पर निष्पक्ष' (जैसे एक निर्वाचन अधिकारी हर दल के प्रति समान सेवा-भाव रखते हुए भी अपना काम पूरी सक्रियता से करता है), जबकि राजनीतिक तटस्थता = 'दलगत सक्रियता से दूरी' (सेवा में रहते हुए किसी दल की रैली या प्रचार में शामिल न होना)।

9. उदारवादी समाज (Liberal Society) — पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही की भूमिका

आसान परिभाषा: उदारवादी समाज (Liberal Society)

📖 **परिभाषा:** एक ऐसी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था जो व्यक्तिवाद (Individualism), स्वतंत्रता, तर्कसंगतता, सहिष्णुता, बहुलवाद (Pluralism), सहमति और विधि के शासन (Rule of Law) पर आधारित होती है, जिसमें राज्य की शक्ति के मनमाने प्रयोग की कोई

गुंजाइश नहीं होती।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक ऐसा स्कूल जहाँ छात्रों को अपने विषय खुद चुनने की आज़ादी हो, अलग-अलग विचारों वाले छात्रों को बराबर सम्मान मिले, और नियम सबके लिए एक-समान लागू हों — किसी एक छात्र या शिक्षक की मनमानी न चले। 🏠 **उदाहरण:** भारत का लोकतांत्रिक संविधान — जो मौलिक अधिकार (Fundamental Rights), बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है — एक उदारवादी समाज की बुनियादी संरचना का उदाहरण है।

9.1 शास्त्रीय उदारवाद बनाम आधुनिक उदारवाद

आधार	शास्त्रीय उदारवाद (Classical) — नकारात्मक उदारवाद	आधुनिक उदारवाद (Modern) — सकारात्मक उदारवाद (कल्याणवाद)
राज्य की भूमिका	राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप — अहस्तक्षेप/मुक्त-बाज़ार (Laissez-Faire)।	राज्य को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए — कल्याणकारी नीतियाँ बनानी चाहिए।
स्वतंत्रता की समझ	व्यक्ति को अपने फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी — राज्य सिर्फ 'रात के चौकीदार' (Night Watchman State) की भूमिका में — पुलिस, न्यायालय व सेना तक सीमित।	गरीबी, असमानता, लैंगिक भेद व नस्लवाद जैसी बाधाएँ स्वयं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, इसलिए राज्य को इन्हें दूर करना चाहिए।
प्रमुख प्रस्तावक	जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेन्सर।	जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉबहाउस।

शास्त्रीय बनाम आधुनिक उदारवाद

शास्त्रीय (नकारात्मक)	बनाम	आधुनिक (सकारात्मक)
न्यूनतम हस्तक्षेप, "रात का चौकीदार"	राज्य	कल्याणकारी, सक्रिय राज्य
बाधाओं का न होना	स्वतंत्रता	अवसर और क्षमता का होना
जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेन्सर	विचारक	जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, हॉबहाउस

चित्र 3.14: शास्त्रीय बनाम आधुनिक उदारवाद

“ किसी सभ्य समाज के किसी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग केवल एक ही उद्देश्य से उचित है — दूसरों को हानि से बचाना। (The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others.) ” — जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill), "ऑन लिबर्टी" (1859)

9.2 उदारवादी समाज में पारदर्शिता (Transparency)

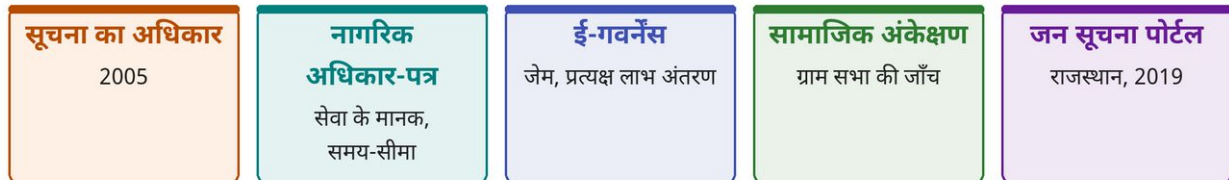
नोलन समिति (Nolan Committee, यूनाइटेड किंगडम, स्थापना अक्टूबर 1994) ने पारदर्शिता को सार्वजनिक जीवन का एक अनिवार्य सिद्धांत माना — यह जनप्रतिनिधियों व लोकसेवकों के लिए तय किए गए सात सिद्धांतों (निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्व) में से एक है। पारदर्शिता राज्य की मनमानी शक्ति को सीमित करती है, जवाबदेही सुनिश्चित करती है, भ्रष्टाचार घटाती है और जनविश्वास बढ़ाती है।

पारदर्शिता का उपकरण	विवरण	उदाहरण
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI)	नागरिकों को सरकारी सूचना माँगने का कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाना।	अरुणा रॉय — RTI आंदोलन की अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता; मनरेगा (MGNREGA) में सामाजिक अंकेक्षण।
नागरिक अधिकार-पत्र (Citizen Charter)	किसी सेवा के मानक, समय-सीमा व शिकायत-निवारण प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से घोषित करना।	राजस्थान का जन सूचना पोर्टल (2019 में शुरू) — जहाँ नागरिक बिना अलग से RTI आवेदन किए ही कई सरकारी योजनाओं व दस्तावेज़ों की जानकारी सीधे देख सकते हैं।
ई-गवर्नेंस	सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) जैसी डिजिटल पारदर्शिता की व्यवस्थाएँ।	GeM पोर्टल ने सरकारी खरीद (Procurement) में विवेकाधिकार व पक्षपात की गुंजाइश काफी हद तक घटाई है।
सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)	ग्राम सभा के माध्यम से मनरेगा जैसी योजनाओं के खर्च व क्रियान्वयन की सार्वजनिक जाँच।	आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में स्थापित 'सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी (SSAAT)' जैसा मॉडल अग्रणी माना जाता है, जिससे प्रेरित होकर राजस्थान

पारदर्शिता का उपकरण	विवरण	उदाहरण
		सहित कई राज्यों ने भी मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को और मज़बूत किया है।
RTI + सामाजिक अंकेक्षण का संयोजन	औपचारिक (RTI) और अनौपचारिक (सामुदायिक निगरानी) — दोनों मिलकर दोहरी जवाबदेही (Double Accountability) बनाते हैं।	जब सामाजिक अंकेक्षण में कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो RTI के ज़रिए उसकी और गहराई से पड़ताल की जा सकती है।

पारदर्शिता के प्रमुख उपकरण

पारदर्शी शासन



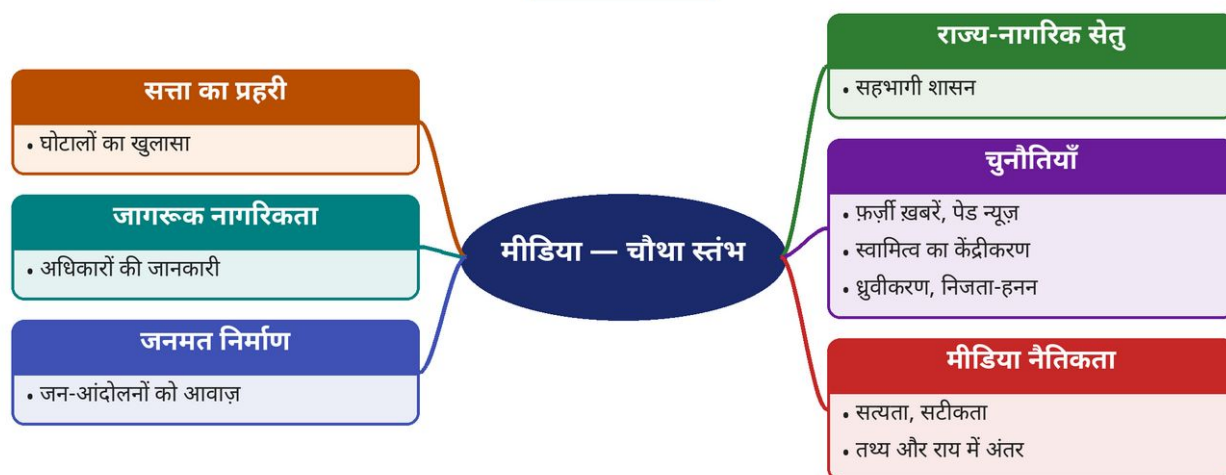
चित्र 3.15: पारदर्शिता के प्रमुख उपकरण

9.3 उदारवादी समाज में मीडिया की भूमिका (Role of Media)

मीडिया को लोकतंत्र का 'चौथा स्तंभ' माना जाता है। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने 1787 में एडवर्ड कैरिंगटन को लिखे एक पत्र में कहा था — 'यदि मुझे तय करना हो कि हमें बिना अखबारों वाली सरकार चाहिए या बिना सरकार वाले अखबार, तो मैं एक पल की भी देरी किए बिना दूसरे विकल्प — यानी अखबारों — को चुनूँगा।' यह कथन प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को बेहद सशक्त ढंग से रेखांकित करता है।

भूमिका	विवरण	उदाहरण
1. सत्ता का प्रहरी (Watchdog of Power)	भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग व मानवाधिकार हनन को उजागर करना।	2जी स्पेक्ट्रम आवंटन जैसे बड़े घोटालों को उजागर करने में खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism) की अहम भूमिका रही है।
2. जागरूक नागरिकता (Informed Citizenry)	नागरिकों को उनके अधिकारों व सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना।	सोशल मीडिया व टीवी चैनलों के ज़रिए सरकारी योजनाओं की जानकारी का व्यापक प्रसार।
3. जनमत निर्माण (Public Opinion Construction)	सामाजिक-आर्थिक असमानता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनमत तैयार करना।	अन्ना हज़ारे के जन लोकपाल आंदोलन को मीडिया कवरेज ने पूरे देश से जोड़ दिया; सैनिटरी नैपकिन पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) के विरुद्ध चले जन-अभियान में भी मीडिया व सोशल मीडिया की सक्रिय भूमिका रही।
4. राज्य-नागरिक सेतु (State-Citizen Link)	नीति-निर्माण में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाना — सहभागी शासन (Participatory Governance)।	बजट-निर्माण प्रक्रिया में सोशल मीडिया के ज़रिए नागरिकों से सुझाव माँगने जैसी पहलें।
5. शैक्षणिक भूमिका (Educational Role)	समाज में बहुलवाद और विविध विचारधाराओं की समझ फैलाना।	विभिन्न विचारधाराओं व दृष्टिकोणों को जनता तक पहुँचाने वाले वृत्तचित्र, परिचर्चाएँ व लेख।

उदारवादी समाज में मीडिया — भूमिकाएँ और चुनौतियाँ



चित्र 3.16: उदारवादी समाज में मीडिया — भूमिकाएँ और चुनौतियाँ

मीडिया की चुनौतियाँ (Challenges)

- ◆ **गलत सूचना और फ़र्जी खबरें (Misinformation/Fake News)** — सोशल मीडिया के दौर में बिना जाँची-परखी या जान-बूझकर गढ़ी गई खबरें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, जिससे लोगों में भ्रम, डर और कभी-कभी हिंसा तक फैल सकती है।
- ◆ **पेड न्यूज़ और TRP-केंद्रित संस्कृति** — 'पेड न्यूज़' का अर्थ है पैसे लेकर किसी के प्रचार को खबर की तरह छापना या दिखाना; और TRP (टीवी कार्यक्रम देखने वालों की संख्या का पैमाना) बढ़ाने की होड़ में चैनल सनसनी फैलाने वाली बातों को सही तथ्यों से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। दोनों के कारण जनता तक सच्ची और संतुलित जानकारी नहीं पहुँच पाती।
- ◆ **मीडिया के स्वामित्व का केंद्रीकरण (Media Monopoly)** — जब अधिकतर अखबार और चैनल कुछ ही बड़े व्यापारिक घरानों के हाथ में आ जाते हैं, तो विचारों की विविधता घटती है और खबरें उन मालिकों के व्यापारिक या राजनीतिक हितों के अनुसार ढलने का ख़तरा रहता है।
- ◆ **निजता, निगरानी व ब्लैकमेल का जोखिम** — खबर बनाने के नाम पर कई बार लोगों के निजी जीवन में अनुचित ताक-झाँक, छिपकर रिकॉर्डिंग, या निजी जानकारी उजागर करने की धमकी देकर दबाव डालने (ब्लैकमेल) जैसी घटनाएँ होती हैं, जो व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन हैं।
- ◆ **सेंसरशिप और ध्रुवीकरण (Polarisation)** — सेंसरशिप का अर्थ है किसी खबर या विचार को छपने-दिखाने से रोकना, और ध्रुवीकरण का अर्थ है समाज का दो विरोधी खेमों में बँट जाना। जब मीडिया तटस्थ रहने के बजाय किसी एक विचारधारा या दल का पक्ष लेने लगता है, तो लोग केवल अपनी पसंद की बात सुनते हैं और समाज में आपसी दूरी बढ़ती है।

💡 📌 **मीडिया नैतिकता (Media Ethics):** पत्रकारिता को इन नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए — सत्यता, सटीकता, वस्तुनिष्ठता (तथ्य और राय में स्पष्ट अंतर), निष्पक्षता, स्वतंत्रता, तथा व्यक्तियों की निजता का सम्मान।

9.4 जनसंपर्क (Public Relations) की नैतिकता

सार्वजनिक संबंधों का एक व्यावसायिक रूप **जनसंपर्क (Public Relations)** है — यानी किसी सरकार, संस्था या कंपनी की बात जनता तक पहुँचाना। सरकारी विभागों में भी जनसंपर्क अधिकारी होते हैं। इस काम में बेईमानी से किया गया संवाद कभी भरोसा नहीं बना सकता। अब्राहम लिंकन से जोड़ी जाने वाली एक प्रसिद्ध उक्ति है — "आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए और सब लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, पर सब लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते।"

जनसंपर्क में अनैतिक आचरण के उदाहरण: प्रतिकूल खबरों को दबाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना, किसी एक उद्देश्य के नाम पर वास्तव में किसी और हित की सेवा करना, ऐसे परिणामों का वादा करना जो संभव न हों, और प्रचार-सामग्री छपवाने के लिए संपादकों पर अनुचित दबाव डालना। आज उपभोक्ता और नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, और जनसंपर्क अधिकारी को उपभोक्ता-समूहों, पर्यावरण-संगठनों जैसे दबाव-समूहों का सामना करना पड़ता है; इसलिए उसे स्व-नियंत्रित, नैतिक और संवाद के क़ानूनी पहलुओं के प्रति सावधान रहना चाहिए।

9.5 उदारवादी समाज में नौकरशाही की भूमिका (Role of Bureaucracy)

मैक्स वेबर के अनुसार तर्कसंगतता (Rationality) ही आधुनिक नौकरशाही की नींव है — यह पदानुक्रम (Hierarchy) और योग्यता (Merit) पर आधारित होती है, न कि व्यक्तिगत सनक या पक्षपात पर।

भूमिका	उदारवाद से संबंध	उदाहरण / प्रावधान
1. विधि का शासन लागू करना	शास्त्रीय उदारवाद — नियमों से शासन, मनमानी नहीं।	नौकरशाही नियम व निर्धारित प्रक्रिया से काम करती है — मनमानी (Arbitrariness) की गुंजाइश सीमित रहती है।
2. कल्याणकारी राज्य का	आधुनिक उदारवाद — जे.एस. मिल व टी.एच. ग्रीन —	प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा जैसी बुनियादी

भूमिका	उदारवाद से संबंध	उदाहरण / प्रावधान
निर्माण	अधिकारों की रक्षा पर बल।	ज़रूरतें पूरी करने वाली योजनाएँ।
3. मानवीय गरिमा और समानता	मानवाधिकार व समानता — उदारवादी समाज के मूल तत्व।	अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) का क्रियान्वयन; गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम।
4. सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन	जागरूक नागरिक — उदारवादी समाज की एक बुनियादी ज़रूरत।	RTI अधिनियम का क्रियान्वयन; राजस्थान का जन सूचना पोर्टल।
5. तटस्थता व निरंतरता	गैर-पक्षपात — सरकारें बदलती रहती हैं, पर नौकरशाही स्थिर रहती है।	स्थायी कार्यपालिका (Permanent Executive) शासन में निरंतरता सुनिश्चित करती है।
6. सामाजिक बाधाओं को दूर करना	आधुनिक उदारवाद — सामाजिक व आर्थिक बाधाओं को दूर करना।	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण योजनाएँ, महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम जैसे मिशन शक्ति।

उदारवादी समाज में नौकरशाही की भूमिका



चित्र 3.17: उदारवादी समाज में नौकरशाही की भूमिका

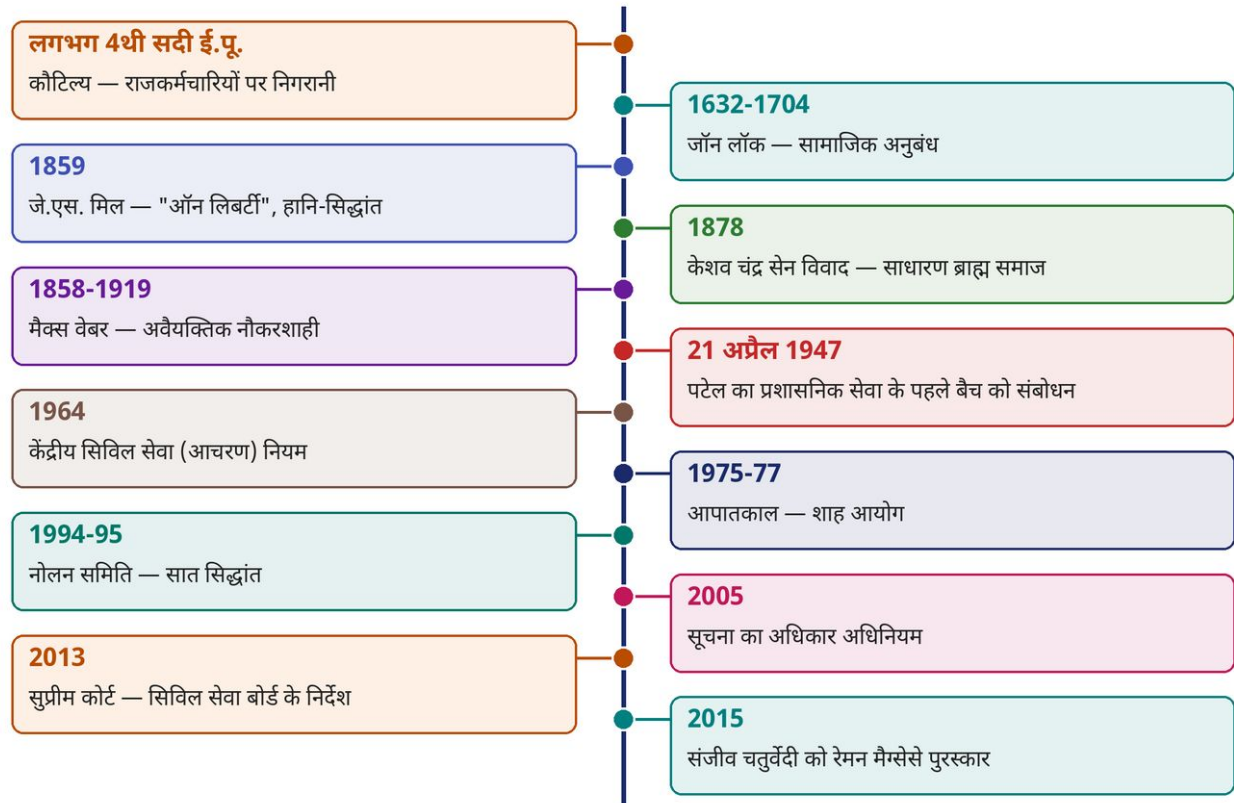
क्या सूचना का अधिकार (RTI), मीडिया सक्रियता और न्यायिक सक्रियता जवाबदेही बढ़ाते हैं? ऊपर की तीनों तालिकाएँ (पारदर्शिता के उपकरण, मीडिया की भूमिका, नौकरशाही की भूमिका) मिलकर इसका उत्तर देती हैं — हाँ, ये तीनों मिलकर शासन को अधिक जवाबदेह बनाते हैं; पर मीडिया की चुनौतियाँ (फ़र्ज़ी ख़बरें, पेड न्यूज़) बताती हैं कि इनका संतुलित और ज़िम्मेदार उपयोग ही वास्तविक जवाबदेही ला सकता है।

10. सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और उदारवादी समाज — ऐतिहासिक यात्रा

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना / विचारक
चतुर्थ शताब्दी ई.पू. (लगभग)	आचार्य चाणक्य — अर्थशास्त्र व 'दो दीपकों' की कथा (कही-सुनी परंपरा) — प्रोबिटी व सत्यनिष्ठा का प्रतीक।
1632-1704	जॉन लॉक — सामाजिक अनुबंध (Social Contract), प्राकृतिक अधिकार व संविधानवाद — उदारवादी समाज की नींव।
1748-1832	जैरेमी बेन्थम — शास्त्रीय उदारवाद व उपयोगितावाद — आधुनिक उदारवाद की ओर पहला कदम।
1806-1873	जॉन स्टुअर्ट मिल — 'ऑन लिबर्टी' (1859) व हानि-सिद्धांत; शास्त्रीय से आधुनिक (कल्याणकारी) उदारवाद की ओर संक्रमण के प्रमुख विचारक।
1858-1919	मैक्स वेबर — तर्कसंगत नौकरशाही (Rational Bureaucracy) — 'सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए अवैयक्तिक (Impersonal) प्रशासन'।
1875-1950	सरदार वल्लभभाई पटेल — स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक सेवा के पहले बैच को संबोधन (21 अप्रैल 1947) — निष्पक्षता और राजनीति से दूरी को प्रशासन का प्रमुख स्तंभ बताया।
1904-1966	लाल बहादुर शास्त्री — भारत के दूसरे प्रधानमंत्री (1964-66); बैंक से कार-ऋण लेने की सादगी व सत्यनिष्ठा की व्यापक रूप से प्रचलित मिसाल।
1950	26 जनवरी 1950: भारतीय संविधान लागू — अनुच्छेद 14-18, 19-22, 51A — निष्पक्षता व सत्यनिष्ठा का संवैधानिक आधार।
1975-77	आपातकाल — शाह आयोग ने प्रशासन में राजनीतिक पक्षपात की समस्या को उजागर किया।
1992	विश्व बैंक — सुशासन (Good Governance) आंदोलन — सत्यनिष्ठा व पारदर्शिता पर बल।
अक्टूबर 1994	नोलन समिति (यूनाइटेड किंगडम) — सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत — निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्व।
नवंबर 2003	सत्येन्द्र दुबे (IES) — राष्ट्रीय राजमार्ग घोटाला उजागर करने के बाद हत्या — सत्यनिष्ठा की भारी कीमत।
2005	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI) — पारदर्शिता व जवाबदेही को संस्थागत रूप।

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना / विचारक
2017-2019	सबरीमाला मंदिर प्रवेश निर्णय (2018); तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने संबंधी निर्णय (2017); राजस्थान का जन सूचना पोर्टल आरंभ (2019)।
2013-2024	मिशन कर्मयोगी, मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण (राजस्थान सहित) — आधुनिक पारदर्शिता व क्षमता-निर्माण की दिशा में सतत प्रयास।

निजी-सार्वजनिक नैतिकता — ऐतिहासिक यात्रा



चित्र 3.18: निजी-सार्वजनिक नैतिकता — ऐतिहासिक यात्रा

☀ अध्याय का सार — एक पंक्ति में

निजी और सार्वजनिक जीवन को पूरी तरह अलग करना न संभव है, न वांछनीय — असली चुनौती है दोनों के बीच सही 'लक्ष्मण रेखा' खींचना। सत्यनिष्ठा हमें भीतर से सही रास्ते पर टिकाए रखती है, निष्पक्षता हमें बिना भेदभाव के फैसला लेना सिखाती है, गैर-पक्षपात हमें किसी दल का नहीं बल्कि संविधान का सेवक बनाता है, और एक जीवंत उदारवादी समाज — जिसमें पारदर्शिता, स्वतंत्र मीडिया और तटस्थ नौकरशाही शामिल हों — इन सभी मूल्यों को व्यवहार में उतारने का मंच देता है।

बोनस: उत्तर-लेखन अभ्यास (मॉडल प्रश्न और उत्तर)

प्रश्न 1: "मैक्स वेबर ने कहा: 'सार्वजनिक प्रशासन में व्यक्तिगत विवेक के नैतिक मानक लागू करना बुद्धिमानी नहीं।' इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।" (150 शब्द)

उत्तर: मैक्स वेबर का यह कथन बताता है कि सार्वजनिक प्रशासन के फैसले व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर, नियम व तर्क के आधार पर लिए जाने चाहिए — न कि किसी अधिकारी की निजी नैतिक भावना के आधार पर।

◆ **पक्ष में तर्क:** एक पुलिस अधिकारी को दंगा नियंत्रण में अपनी निजी अहिंसा-प्रियता से आगे बढ़कर बल-प्रयोग जैसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं; एक कर-अधिकारी को अपने किसी परिचित पर भी वही कानून बिना नरमी के लागू करना होता है।

◆ **आलोचना:** यदि प्रशासन पूरी तरह नियम-केंद्रित और भावनाशून्य हो जाए, तो वह करुणा व मानवीय संवेदनशीलता खो सकता है — जैसे बूंदी कलेक्टर डॉ. रवींद्र गोस्वामी का उदाहरण दिखाता है कि निजी करुणा भी कई बार बेहतर सार्वजनिक सेवा का आधार बनती है।

निष्कर्ष: वेबर का कथन प्रशासनिक निष्पक्षता के लिए आवश्यक है, पर इसे इतना कठोर नहीं बनाया जाना चाहिए कि मानवीय संवेदनशीलता और सकारात्मक स्पिलओवर प्रभाव की गुंजाइश ही समाप्त हो जाए — संतुलन ही सही रास्ता है।

प्रश्न 2: "गैर-पक्षपात और राजनीतिक तटस्थता में अंतर बताते हुए प्रशासन में गैर-पक्षपात की प्रासंगिकता समझाइए।"

उत्तर: गैर-पक्षपात (Non-Partisanship) का अर्थ है आधिकारिक कार्यों में किसी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव न रखना, जबकि पूरी सक्रियता से जनसेवा करते रहना। इसके विपरीत, राजनीतिक तटस्थता (Political Neutrality) का अर्थ है सेवा में रहते हुए दलगत राजनीतिक सक्रियता (रैली, प्रचार) से दूर रहना।

◆ **प्रासंगिकता:** निष्पक्ष चुनाव संचालन, नीति-निर्माण में निरंतरता (चाहे सरकार कोई भी बने), तथा भ्रष्टाचार व क्रोनी कैपिटलिज्म पर रोक के लिए गैर-पक्षपात अनिवार्य है — जैसा टी.एन. शेषन के निष्पक्ष चुनाव-प्रबंधन से स्पष्ट होता है।

◆ **संस्थागत सुरक्षा:** अनुच्छेद 319, सिविल सेवा बोर्ड (टी.एस.आर. सुब्रमण्यम मामला, 2013) और मिशन कर्मयोगी जैसी व्यवस्थाएँ गैर-पक्षपात को संस्थागत रूप से मज़बूत करती हैं।

निष्कर्ष: गैर-पक्षपात लोकतंत्र में जनविश्वास बनाए रखने की बुनियादी शर्त है — यह सुनिश्चित करता है कि सिविल सेवक की निष्ठा किसी दल के प्रति नहीं, बल्कि संविधान और जनकल्याण के प्रति बनी रहे।

